BCCI BULLETIN

Vol. 51 | OCTOBER - NOVEMBER : 2020 | No. 6

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने सातवीं बार संभाली बिहार की बागडोर

माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने दिनांक 16 नवम्बर 2020 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं उनके मंत्रीमंडल के सभी माननीय मंत्रियों को बिहार के समस्त व्यवसायियों एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से हार्दिक बधाई एवं अभिनन्दन।

हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में बिहार का आर्थिक एवं औद्यागिक विकास तीव्र गति से होगा।

बिहार के आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक समृद्धि हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सद्प्रयासों में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज हर संभव सहयोग के लिए कृत संकल्पित है।

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

बिहार मंत्री मंडल

मंत्री और विभाग

❀ **श्री नीतीश कुमार** मुख्यमंत्री	:	सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रीमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन एवं वैसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है
❀ **श्री तारकिशोर प्रसाद** उप मुख्यमंत्री	:	वित्त विभाग, वाणिज्य-कर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रावैधिकी, आपदा प्रबंधन, नगर विकास एवं आवास
❀ **श्रीमती रेणु देवी** उप मुख्यमंत्री	:	पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण एवं उद्योग
❀ **श्री विजय कुमार चौधरी**	:	ग्रामीण कार्य, संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सूचना एवं जन- सम्पर्क
❀ **श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव**	:	ऊर्जा, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, योजना एवं विकास तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
❀ **श्री अशोक चौधरी**	:	भवन निर्माण, समाज कल्याण, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, अल्प संख्यक कल्याण एवं शिक्षा
❀ **श्रीमती शीला कुमारी**	:	परिवहन
❀ **श्री संतोष कुमार सुमन**	:	लघु जल संसाधान, अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण
❀ **श्री मुकेश सहनी**	:	पशु एवं मत्स्य संसाधन
❀ **श्री मंगल पाण्डे**	:	स्वास्थ्य, कला संस्कृति एवं युवा तथा पथ निर्माण
❀ **श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह**	:	कृषि, सहकारिता एवं गन्ना उद्योग
❀ **डॉ० रामप्रीत पासवान**	:	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
❀ **श्री जिवेश कुमार**	:	श्रम संसाधन, पर्यटन, खान एवं भूतत्व
❀ **श्री राम सूरत कुमार**	:	राजस्व एवं भूमि सुधार एवं विधि

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

माननीय नीतीश कुमार जी 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उनकी पूरी टीम को बिहार के समस्त व्यावसायी बन्धुओं की ओर से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज हार्दिक बधाई, अभिनन्दन एवं शुभकामनाएं व्यक्त करता है। इस बार सरकार के सामने बड़ी चुनौती है फिर भी व्यावसाय जगत को पूरी आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊँचाइयों पर पहुँचेगा। बिहार के व्यावसायियों को उम्मीद है कि सरकार पिछले कार्यकाल की तुलना में ज्यादा सार्थक प्रयास करेगी। राज्य में बेरोजगारी एवं पलायन की समस्या दूर कराने के लिए औद्योगिकरण ही एक मात्र प्रभावी उपाय है। राज्य में बन्द पड़ी जूट और चीनी मिलों को खुलवाने के लिए प्रयास करना होगा। इसके अलावा नये औद्योगिक क्षेत्र बनाने होंगे ताकि निवेशकों को आसानी से जमीन उपलब्ध हो सके। बहरहाल, जो भी नीति बने, उसकी पहुँच ग्राउंड स्तर तक हो जिससे निवेशकों में विश्वास पैदा होगा। सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करेगी तो परिणाम अवश्य बेहतर होंगे।

माननीया केन्द्रीय वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 2020 को **'आत्मनिर्भर भारत योजना-3'** की घोषणा स्वागत योग्य है। वित मंत्री द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत योजना-3' के अन्तर्गत 12 नये राहत उपायों की घोषणा की गयी है। इन 12 नये घोषित उपायों से उद्यमियों एवं व्यावसायियों को बड़ी राहत मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ देना है। इस लाभ की योजना का विस्तार जून 2021 तक किया गया है। इमरजेंसी क्रेडिट लाईन गारंटी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक विस्तारित किया गया है।

इस साल बाढ़ के चलते बिहार के 18 जिलों में औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को क्षति पहुँची है। उद्योग विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद संबंधित जिलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के नुकसान का व्यापक मुल्यांकण शुरू कराया गया है।

चैम्बर द्वारा कोरोना काल में रियल एस्टेट को गति प्रदान करने के लिए तथा औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हेतु महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर स्टांप ड्युटी कम करने की मांग राज्य सरकार से की गयी है ।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने केन्द्र के प्रस्तावित वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा विधेयक-2017 (एफ.आर.डी.आई. बिल) में बेल-इन प्रावधान को लेकर चिन्ता व्यक्त करते हुए माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय के सचिव को पत्र द्वारा इसे वापस लेने की मांग की है।

चैम्बर का तर्क है कि बैंकों में अपनी रकम रखने वाले जमाकर्त्ताओं के मेहनत की कमाई को प्रभावित कर सकता है। बैंकों में पैसा रखने वाले जर्माकर्त्ताओं की सबसे बड़ी चिंता इस विधेयक को बेल-इन प्रावधान को लेकर है, क्योंकि यदि किसी जमाकर्त्ता का बैंक में एक करोड़ रूपये हैं तो उसकी बीमित राशि जो वर्त्तमान में 5 लाख रूपये हैं, का भुगतान करके डूबने वाली वित्तीय संस्था छुटकारा पा लेंगे और मेहनत मजदूरी करने वाले जमाकर्त्ता को आर्थिक नुकसान पहुँचेगा ।

चैम्बर ने आयकर रिटर्न की तिथि तीन माह बढ़ाने का आग्रह केन्द्रीय वित मंत्री, सी०बी०डी०टी० एवं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखंड) से किया था एवं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एवं आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि को क्रमशः 31 दिसम्बर 2020 एवं 31 जनवरी 2021 किया गया है।

मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि श्री वीरेन्द्र सिंह, भा०रा०से०, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखंड) ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न अवसरों पर आयकर दाताओं एवं आयकर सम्बन्धी समस्याओं पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा विशेषकर कोरोना संक्रमण के बावजूद, दिये गये सुझावों एवं सक्रिय योगदान हेतु चैम्बर के प्रति धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया है।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखंड) द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति आपके अवलोकनार्थ इसी बुलेटीन में प्रकाशित की गयी है।

बन्धुओं, आपको विदित है कि कोविद-19 का संक्रमण इधर फिर से बढ़ गया है। अतः इससे बचने के लिए मास्क लगायें और सामाजिक दूरी का पालन करें क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, को मानना ही सबके लिए बेहतर होगा।

सादर,

आपका

पी० के० अग्रवाल

सीएम को बीसीसीआई अध्यक्ष ने दी बधाई

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रिज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी है। बधाई संदेश में कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सूबे के कारोबार जगत को बड़ी उम्मीदें हैं।

उन्होंने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा है कि सभी लोग राज्य को विकास की नई ऊँचाइयों पर ले जाएंगे। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा है कि इस बार सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। कहा कि सरकार को इस बार अच्छा काम करना होगा। पिछले कार्याकाल की तुलना में इस बार बढ़िया काम होने के कयास कारोबारियों ने लगाए हैं। चैम्बर की ओर से उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी दूर करने के लिए औद्योगीकरण ही एकमात्र प्रभावी उपाय है। इसके लिए सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करे तो बेहतर परिणाम होगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 17.11.2020)

आत्मनिर्भर भारत योजना का चैम्बर ने किया स्वागत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ने कोरोना वायरस महामारी से देश की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिये बृहस्पतिवार को केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना 3 की घोषणा का स्वागत किया है।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बतांया कि वित्त मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना 3 के तहत 12 नवम्बर को राहत उपायों की घोषणा की गई है। आत्मनिर्भर भारत योजना का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी को पीएफ का फायदा देना है। इसके लाभ की योजना का विस्तार जून 2021 तक किया गया है।

इमरजेंसी क्रेडिटलाइन गारंटी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक विरतारित कर दिया गया है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 13.11.2020)

नई सरकार से अपेक्षा

रोजगार सृजन के लिए सरकार उठाए कदम

"विधानसभा चुनाव में रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार को भी इसे प्राथमिकता से लेना चाहिए। सभी को रोजगार मिले, इसके लिए हरसंभव प्रयास करना होगा। इसके लिए बड़े निवेश पर जोर देना होगा। केवल स्थानीय कारोबारियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन संभव नहीं है। सरकार को बड़ा कदम उठाने की जरूरत है।"

– पी. के अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

(साभार : दैनिक जागरण, 12.11.2020)

चैम्बर अध्यक्ष ने वाशिंग एक्सप्रेस के कॉमर्शियल वर्कशॉप का किया उद्घाटन

फीता काटकर वर्कशॉप का उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (बाँयें से तीसरे)

दिनांक 8 नवम्बर 2020 को वाशिंग एक्सप्रेस के कमर्शियल वर्कशॉप का भव्य शुभारंभ जीरो माइल, पहाड़ी पर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बिहार में रोजगार के अवसर प्रदान करने और बेहद कम समय में कुशल उद्यमी के रूप में पहचान बनाने के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक राहुल कालरा को बधाई दी। कालरा ने बताया कि इस प्लांट के माध्यम से कंपनी ने अपने प्रतिदिन प्रोसेसिंग क्षमता दो टन से बढ़ाकर चार टन कर दी है। विदेशों से आयात उपकरणों के द्वारा क्वालिटी को और मजबूत किया गया है।

(साभार : आई नेक्स्ट 9.11.2020)

पर्यटन उद्योग को आगे बढ़ाने को आगे आएँ बिहार के उद्यमी: पी. के. अग्रवाल

बिहार-झारखंड एसोसियेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (बजाना) ने 25.10.2020 को एडिसन न्यू जर्सी में भारत के वाणिज्य दूतावास न्यूयॉर्क (यूएसए) के साझेदारी में 'बिहार व्यापार-पर्यटन सम्मेलन' आयोजित किया गया। सम्मेलन फेसबुकलाइव द्वारा किया गया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया कि बिहार की वर्तमान स्थिति निवेश उन्मुख अवसर में कैसे बदल गयी। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान केन्द्रित कराया कि बिहार में भविष्य के निवेश के लिए एक बड़ा बाजार कैसे है, क्योंकि बिहार के आर्थिक क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। अग्रवाल ने कहा कि बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका में बसे उद्यमियों को निवेश करना चाहिए।

विरासत के बारे में जानना है जरूरी : पर्यटन को बढ़ावा देने के कई पहलुओं पर अपनी बात रखी। पी. के. अग्रवाल ने कहा कि बिहार के लोगों के लिए विरासत, जड़ों और संस्कृति के बारे में जानना कितना अहम है। सम्मेलन में अमेरिकी टीवी एंकर और लेखक डार्ली न्यूमैन, भारत के महा वाणिज्यदूत (न्यूयॉर्क) रणधीर जायसवाल, मुख्य अतिथि के साथ उप महावाणिज्यदूत शत्रुघ्न सिन्हा, कौंसल विपुल मेसरिया ने भाग लिया। सम्मेलन में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल और नूपुर निशीथ अतिथि के रूप में उपस्थित थीं।

(साभार : प्रभात खबर, 28.10.2020)

रियल एस्टेट को गति देने के लिए स्टांप ड्यूटी कम करने की मांग

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने कोरोना काल में रियल एस्टेट सेक्टर में गति लाने तथा औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए महाराष्ट्र की तर्ज पर स्टांप ड्यूटी कम करने की मांग की है। चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि स्टांप ड्यूटी में कटौती से औद्योगिक विकास के साथ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कोरोना काल में रियल एस्टेट में आई स्थिरता को दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के राज्य कैबिनेट ने स्टांप ड्यूटी में कटौती का निर्णय लिया है। इसके तहत 1 सितम्बर से 31 दिसम्बर तक स्टांप ड्यूटी में 3 प्रतिशत और 1 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 तक 2 प्रतिशत कटौती होगी। आने वाले त्योहारों के दौरान काफी लोग घर एवं जमीन की खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे समय में यदि राज्य सरकार द्वारा स्टांप ड्यूटी में कटौती का सकारात्मक प्रभाव रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा। इससे न केवल घर खरीदने और बेचने वाले को फायदा होगा, बल्कि राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 18.10.2020)

एफआरडीआई में बेल-इन प्रावधान को वापस ले केन्द्र

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र प्रेषित कर लगायी गुहार

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने केन्द्र के प्रस्तावित वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा विधेयक- 2017 (एफआरडीआई बिल) में बेल-इन प्रावधान को लेकर चिन्ता व्यक्त करते हुए इसे वापस लेने का अनुरोध केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय के सचिव से पत्र के माध्यम से किया है। चैम्बर का तर्क है कि यह बैंकों में अपनी रकम रखनेवाले जमकर्ताओं के मेहनत की कमाई को प्रभावित कर सकता है।

उन्होंने कहा कि बैंक में पैसा रखनेवाले जमाकर्ताओं की सबसे बड़ी चिन्ता इस विधेयक के बेल-इन प्रावधान को लेकर है, क्योंकि यदि किसी जमाकर्ता का बैंक में एक करोड़ रुपये हैं तो उसकी बीमित राशि जो कि वर्तमान में पाँच लाख रुपये हैं, का भुगतान करके डूबने वाला वित्तीय संस्था छुटकारा पा जाएँगे। इससे मेहनत-मजदूरी करनेवाले जमाकर्ता को आर्थिक नुकसान पहुँचेगा।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था ने हमेशा देश के नागरिकों के बचत को प्रोत्साहित किया है, जिसकी देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका भी रही है। यह भी एक तथ्य है कि एक दशक पूर्व जब अमेरिका में सब-प्राइम संकट आया था तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था, लेकिन भारत केवल देश के नागरिकों द्वारा किए गए निवेश और भारतीय बैंकिग उद्योग में विश्वास के कारण ही जीवित रह सका। यदि विधेयक को वर्तमान स्वरूप में ही लागू की जाती है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव यह होगा कि छोटे और मध्यम जमाकर्ता अपनी रकम को बैंको से निकालकर इसका निवेश गोल्ड एवं बुलियन आदि में करना प्रारम्भ करेंगे जो कि अधिकतर आयात किये जाते हैं। परिणामस्वरूम देश की अर्थव्यवस्था में नकदी परिसंचरण की व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 17.10.2020)

आयकर रिटर्न की तिथि तीन माह बढाने की मांग

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आयकर के तहत दाखिल होनेवाले एसेसमेंट इयर 2020-21 एवं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आयकर रिटर्न की तिथि तीन माह बढ़ाने का आग्रह किया है।

चैम्बर ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज एवं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखण्ड) से मांग

की है कि लॉकडाउन के साथ विभिन्न जिलों में आयी भयंकर बाढ़ एवं बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा को देखते हुए एसेसमेंट इयर 2020-2021 (वित्त वर्ष 2019-20) में आयकर की धारा 44-एबी के तहत दाखिल होने वाले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एवं 139 (1) के तहत दाखिल होनेवाले आयकर रिटर्न को दाखिल करने की वर्तमान तिथि जो क्रमशः 31 अक्टूबर, 2020 एवं 30 नवम्बर, 2020 है का विस्तार तीन माह के लिए किया जाये।

(साभार : प्रभात खबर, 3.10.2020)

उद्यमियों के प्रति संवेदनशील होने वाली सरकार का ही करेंगे चुनाव

एक उद्यमी बनने का सफर आसान नहीं होता है। इसके लिए कई चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। ऐसे में संवेदनशील सरकार ही बिजनेस से जुड़ी पॉलिसी और योजनाओं को धरातल पर उतार सकती है।

"हम जहाँ थे आज भी वहीं हैं। सरकार की ओर से जो भी पॉलिसी बनें वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने के साथ-साथ इसका बेहतर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसका लाभ नीचे के लोगों को मिलना चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम सिर्फ नाम का ना हो, इससे लोगों को मदद मिलनी चाहिए। कंसल्टेशन के लिए प्रोफेशनल एजेंसी की जरूरत है।" **– पी. के. अग्रवाल,** अध्यक्ष

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

(साभार : प्रभात खबर, 16.10.2020)

एमपी, एमएलसी बन चैम्बर का बढ़ाया मान

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का नाम प्रतिष्ठित तो है ही, इसका गौरव बढाने में इसके अध्यक्षों की भी महती भूमिका है। बिहार में कई उद्योग संगठन हैं, लेकिन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज इकलौता ऐसा संगठन है जिसके आधा दर्जन अध्यक्षों ने एमपी, एमएलसी बनकर चैम्बर का मान बढ़ाया। एक अध्यक्ष पटना के मेयर भी रह चुके हैं जबकि एक सदस्य संविधान सभा के सदस्य भी बनाए गए थे। फिलहाल चुनावी सरगर्मी तेज है। बिहार में वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है, यह तो समय ही बताएगा लेकिन एमपी, एमएलसी, मेयर बनने वाले चैम्बर के अध्यक्षों की चर्चा इस समय खूब हो रही है।

"चैम्बर के कई अध्यक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। इससे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गौरव बढ़ा।"

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज

राय बहादुर राम रणविजय सिन्हा : राय बहादुर राम रणविजय सिन्हा भी 1930-1931 तक चैम्बर के प्रेसिडेंट थे। इसके बाद इन्हें ट्रेड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि के तौर पर एमएलसी बनाया गया।

डुमरांव महाराज कमल सिंह : डुमरांव महाराज कमल सिंह चैम्बर के अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल 1976 से 1977 तक था। साथ ही वे बक्सर लोक सभा से चुनाव जीतकर संसद में भी पहुँचे। साथ ही विधायक भी बने।

गौरीशंकर डालमिया : गौरीशंकर डालमिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट थे। उनका कार्यकाल 1977-78, 78-79 सत्र तक था। इसके बाद एमएलसी बनाया गया।

राय बहादुर श्याम नंदन सहाय : राय बहादुर श्याम नंदन सहाय भी चैम्बर के अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल 1943-44, 44-45, 45-46 तक था। बाद में एमएलसी बने। इसके अलावा विधान सभा के सदस्य भी बनाये गये थे।

के. एन. सहाय : के. एन. सहाय भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट थे। उनका कार्यकाल सत्र 1964-65, 65-66, 69-70, 70-71 तक था। बाद में पटना के मेयर बने। इसके बाद उन्हें एमएलसी बनाया गया।

लेफ्टिनेंट कर्नल सारंगधर सिंह : लेफ्टिनेंट कर्नल सारंगधर सिंह भी चैम्बर के प्रेसिडेंट थे। वे 1949-50, 50-51 तक पद पर रहे। उसके बाद सांसद बने। लोकप्रियता की वजह से इन्होंने दो बार चुनाव जीता। इस तरह से दो बार संसद पहुँचे।

(साभार : दैनिक जागरण, 11.10.2020)

बैंकिंग क्षेत्र के डूबे कर्ज में होगा इजाफा

रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने जताया अनुमान

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गैर-निष्पादित आस्तियाँ (एनपीए) अगले 12 से 18 माह के दौरान बढ़कर कुल ऋण के 11 प्रतिशत तक पहुँच सकती है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने 24.11.2020 को यह अनुमान लगाया है।

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि ऋण को डूबे कर्ज के रूप में वर्गीकृत नहीं करने की वजह से दबाव वाली संपत्तियाँ 'छिप' जा रही हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से इन संपत्तियों पर दबाव बना है। एसएंडपी ने कहा कि इस साल कुल कर्ज में एनपीए के अनुपात में काफी गिरावट के बाद वित्तीय संस्थानों के लिए आगे इसे कायम रख पाना मुश्किल होगा।

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की क्रेडिट विश्लेषक ने कहा, 'दूसरी तिमाही में वित्तीय संस्थानों का प्रदर्शन हमारी उम्मीद से बेहतर रहा है। इसकी प्रमुख वजह छह माह तक कर्ज की किस्त के भुगतान पर स्थगन तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी कर्जदार के खाते को गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करने की रोक है।'

एसएंडपी की रिपोर्ट 'द स्ट्रेस फ्रैक्चर्स इन इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कहा गया है कि ऋण की किस्त के भुगतान पर रोक की छूट 31 अगस्त, 2020 को समाप्त हो चुकी है। ऐसे में बैंकिंग क्षेत्र का डूबा कर्ज अगले 12 से 18 माह में बढ़कर 10 से 11 प्रतिशत पर पहुँच सकता है। 30 जून, 2020 को यह आठ प्रतिशत पर था। एसएंडपी ने कहा कि इस साल और अगले वर्ष बैंकिंग प्रणाली की ऋण की लागत 2.2 से 2.9 प्रतिशत के उच्चस्तर पर बनी रहेगी।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 25.11.2020)

औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा होंगे

राज्य सरकार बिहार में उद्योगों के विकास के लिए तत्पर है। राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए नई नीति लागू की गई है। साथ ही कृषि और काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी नीति बनी है। इसके तहत प्राथमिक एवं अति प्राथमिक क्षेत्रों में नये उद्योग लगाने में सहायता मिलेगी! सरकार के इन प्रयासों से एक ओर राज्य के आर्थिक विकास को बल मिलेगा तो दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। पर्यावरण के सरंक्षण के लिए राज्य सरकार संकल्पित है, जिसके लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान लागू की गई है। युवाओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा जैसे कार्यक्रम लागू है, जिनका लाभ बिहार के युवा उठा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 27.11.2020)

रिटर्न में सीए का सत्यापन होगा

आयकर रिटर्न में चाटर्ड अकाउंटेंट यानी सीए का अब आसानी से सत्यापन होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जरिये यूनिक डॉक्यूमेंट आर्डेंटिफिकेशन नंबन यानी यूडीआईएन का सत्यापन करेगा। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सीए द्वारा किए जाने वाले सभी ऑडिट की पहचान यूडीआईएन आसानी से हो सकेगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 27.11.2020)

फोटो, बायोमेट्रिक्स पंजीकरण से जीएसटी फर्जीवाड़ा रोकने की तैयारी

जीएसटी काउंसिल की लॉ कमेटी ने लाइव फोटो और बायोमेट्रिक्स के इस्तेमाल से ऑनलाइन जीएसटी पंजीकरण का सुझाव दिया है। इसका मकसद फर्जी कंपनियों द्वारा इनपुट क्रेडिट टैक्स के दावे को रोकना है। इस समिति में केन्द्र और राज्य सरकारों के टैक्स अधिकारी शामिल हैं। समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि अगर नए पंजीकरण के लिए बिना आधार के पंजीकरण का विकल्प चुना जाता है, तो ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक समिति ने सुझाव दिया है कि जीएसटी के लिए भी आधार पंजीयन जैसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसके तहत तत्काल फोटो और बायोमेट्रिक्स के साथ ही दस्तावेजों के अनिवार्य और संपूर्ण सत्यापन से नए पंजीकरण किए जा सकते हैं। ऐसी सुविधाएँ बैंकों, डाकघरों और जीएसटी सेवा केन्द्रों (जीएसके) में दी जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक समिति का यह भी मानना है कि वैसे कारोबारियों का जीएसटी नंबर स्थगित किया जाना चाहिए जिन्होंने छह महीनों से रिटर्न नहीं भरा है।

समिति के ये प्रमुख सुझाव : • आधार के बिना पंजीकरण कराने वालों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य हो • आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुनने वाले कारोबारी दें भरोसे वाले दो करदाताओं के सिफारिश पत्र • वैसे कारोबारियों का जीएसटी नंबर स्थगित किया जाए जिन्होंने छह महीनों से रिटर्न नहीं भरा है • पूरा टैक्स आइटीसी से भरने की छूट देने की जगह कुछ रकम नकद भुगतान करने को कहा जाए • भरोसेमंद की श्रेणी में नहीं आने वाले कारोबारियों के पंजीयन के लिए दो माह तक का वक्त लिया जाए।

(साभार : दैनिक जागरण, 23.11.2020)

इस साल टैक्स रिटर्न में इन बातों का रखें ध्यान

इस साल आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 31 दिसम्बर तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही प्रक्रिया को आसान बनाने और अनुपालन में सुधार के लिए आईटीआर फॉर्म में हर साल की तरह कुछ नए बदलाव किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2020 के लिए नए आईटीआर फॉर्म में सेक्शन 80 सी और 80डी के तहत दावा किए जाने वाले कर लाभ के तरीकों समेत छह प्रमुख बदलावों की जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस बार फॉर्म में आपको अपने अतिरिक्त बैंक खाते का विवरण दर्ज करना होगा। यदि आप एक से अधिक बैंक खाते हैं, जिसमें आप कर वापसी चाहते हैं, तो इसकी जानकारी फॉर्म में देनी होगी। पहले की तुलना में इस बार जो नई जानकारी देनी है उसमें एलटीए पहला नाम है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 25.11.2020)**

सभी बैंक खाते 31 मार्च तक आधार से जोड़ लें बैंक : निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को अगले वर्ष 31 मार्च तक सभी बैंक खाते को आधार से जोड़ने का काम पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अकाउंट्स को पैन से लिंक करने का काम भी तब तक पूरा हो जाना चाहिए।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 11.11.2020)

ई-कॉमर्स के पंजीकरण पर केन्द्र से मांगा जवाब

ऑनलाइन कारोबार (ई-कॉमर्स) के लिए कंपनी के तौर पर पंजीकरण को अनिवार्य किए जाने के

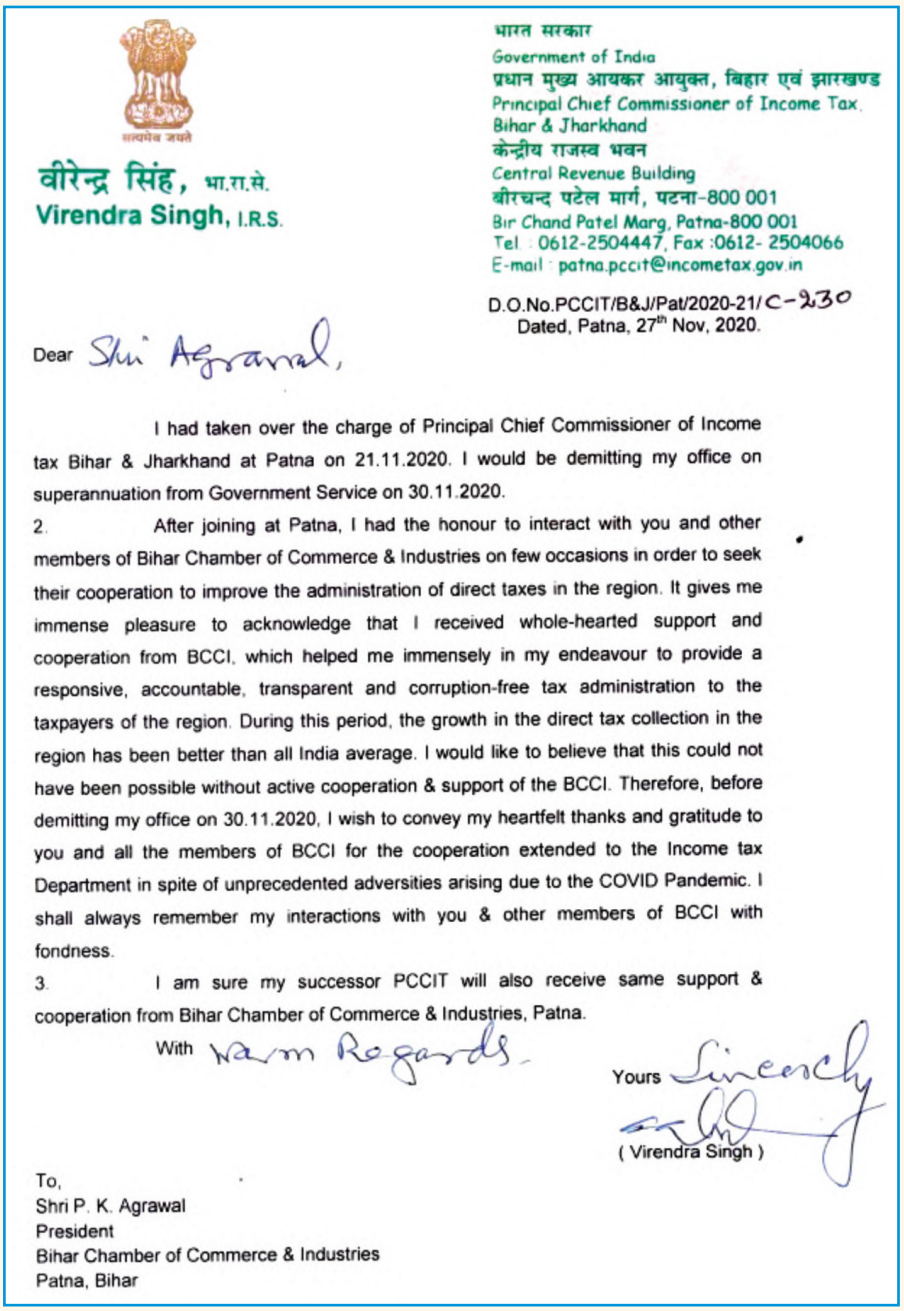

सत्यमेव जयते

वीरेन्द्र सिंह, भा.रा.से.
Virendra Singh, I.R.S.

भारत सरकार
Government of India
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार एवं झारखण्ड
Principal Chief Commissioner of Income Tax
Bihar & Jharkhand
केन्द्रीय राजस्व भवन
Central Revenue Building
बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800 001
Bir Chand Patel Marg, Patna-800 001
Tel : 0612-2504447, Fax :0612- 2504066
E-mail : patna.pccit@incometax.gov.in

D.O.No.PCCIT/B&J/Pat/2020-21/C-230
Dated, Patna, 27th Nov, 2020.

Dear Shri Agrawal,

I had taken over the charge of Principal Chief Commissioner of Income tax Bihar & Jharkhand at Patna on 21.11.2020. I would be demitting my office on superannuation from Government Service on 30.11.2020.

2. After joining at Patna, I had the honour to interact with you and other members of Bihar Chamber of Commerce & Industries on few occasions in order to seek their cooperation to improve the administration of direct taxes in the region. It gives me immense pleasure to acknowledge that I received whole-hearted support and cooperation from BCCI, which helped me immensely in my endeavour to provide a responsive, accountable, transparent and corruption-free tax administration to the taxpayers of the region. During this period, the growth in the direct tax collection in the region has been better than all India average. I would like to believe that this could not have been possible without active cooperation & support of the BCCI. Therefore, before demitting my office on 30.11.2020, I wish to convey my heartfelt thanks and gratitude to you and all the members of BCCI for the cooperation extended to the Income tax Department in spite of unprecedented adversities arising due to the COVID Pandemic. I shall always remember my interactions with you & other members of BCCI with fondness.

3. I am sure my successor PCCIT will also receive same support & cooperation from Bihar Chamber of Commerce & Industries, Patna.

With Warm Regards.

Yours Sincerely
(Virendra Singh)

To,
Shri P. K. Agrawal
President
Bihar Chamber of Commerce & Industries
Patna, Bihar

खिलाफ दाखिल याचिका पर उच्च न्यायालय ने को केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमों के तहत पंजीकरण को अनिवार्य करने के प्रावधान को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की है। केन्द्र द्वारा जारी इस नए प्रावधान के तहत वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन बिक्री करने वाली इकाई के लिए भारत में कंपनी के रूप में पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायणभाई पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने ऑनलाइन कंटेंट का सृजन करने वाले ध्रुव सेठी की याचिका पर केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 24.11.2020)

डेबिट-क्रेडिट कार्ड नियम बदले : इंटरनेशनल और कॉन्टैक्टलेस कार्ड लेनदेन ज्यादा सुरक्षित

ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल, ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड लेनदेन के नियम सख्त किए हैं। नई गाइडलाइन एक अक्टूबर से लागू हो जाएगी। अब कार्ड के जरिए लेनदेन ज्यादा सुरक्षित होगा। साथ ही कुछ सेवाएँ बंद कर दी गई हैं। इसमें सबसे अहम है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सर्विस। रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि वे बेवजह ही ग्राहकों के कार्ड पर इंटरनेशनल लेनदेन की सुविधा न दें। जब ग्राहक खुद इसकी मांग करे तब बैंक इस सेवा को चालू कर सकते हैं। यानी डेबिट

और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब बैंक सिर्फ घरेलू ट्रांजेक्शन की सुविधा देंगे। इसके अलावा ग्राहक तय कर सकेंगे कि उन्हें अपने एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड में क्या-क्या सुविधाएँ लेनी हैं। बैंक इसके लिए मना नहीं कर सकेंगे।

नई गाइडलाइन में ये नियम किए गए लागू : • ग्राहक को किसी विशेष सर्विस की जरूरत तो ही उसे वह मिलेगी। बैंक में आवेदन करना होगा • ग्राहक खुद ट्रांजेक्शन लिमिट बदल सकते हैं। ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या आईवीआर के जरिए बदलाव कर सकते हैं • ग्राहकों को अब अपने कार्ड पर कोई भी सर्विस एक्टिवेट करने या हटाने का अधिकार होगा।

(साभार : दैनिक भास्कर, 1.10.2020)

मोरेटोरियम अवधि में नहीं देना होगा ब्याज पर ब्याज

लोन मोरेटोरियम मामले में सरकार ने छोटे उद्यमियों और पर्सनल लोन ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दायर कर छह महीने की मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज नहीं लेने की बात कही है। ब्याज पर ब्याज से यह छूट दो करोड़ रुपये तक के लोन पर ही मिलेगी। इस संबंध में संसद से मंजूरी ली जाएगी। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 4.10.2020)**

घर बैठे लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अपनी पात्रता करें चेक

स्टेट बैंक ने अपनी वेबसाइट में ही एक नया ऑनलाइन पोर्टल किया लांच

भारतीय स्टेट बैंक ने हाउसिंग और वाहन लोन जैसे लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य छोटे कर्जदारों को उनके लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में जानकारी मुहैया कराना है। इस पोर्टल के माध्यम से ग्राहक घर बैठे अपने लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अपनी पात्रता चेक कर सकते हैं। इसका मकसद कोविड-19 के असर से बैंक के रिटेल कर्जदारों को राहत देना है। ग्राहक बैंक के पोर्टल https://bank.sbi या https://sbi.co.in के माध्यम घर बैठे पता कर सकेंगे कि उनका हाउसिंग लोन या वाहन लोन रिस्ट्रक्चर हो सकता है या नहीं? **(विस्तृत : प्रभात खबर, 5.10.20)**

एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटायी

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 45 करोड़ ग्राहकों को राहत दी है। एसबीआई ने मेट्रो और ग्रामीण क्षेत्र के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटा दी है। अब मेट्रो और अर्बन सिटीज के लिए औसत मासिक बैलेंस 3000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह 1000 रुपये कर दिया गया है। **(विस्तृत : आज, 9.10.2020)**

डिजिटल भुगतान में बड़े बदलाव की हो रही तैयारी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबी आई) ने को कहा कि सभी पेमेंट ऑपरेटर्स को 31मार्च 2022 तक अंतर-संचालित क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड को अपनाना होगा। आरबीआई के इस आदेश का मतलब है कि पेमेंट ऑपरेटर्स को एक ऐसे क्यूआर कोड सिस्टम में शिफ्ट करना होगा, जो दूसरे पेमेंट ऑपरेटर्स द्वारा भी स्कैन हो सके। इस प्रोसेस को लागू करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तय की गई है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 23.10.2020)**

होम लोम बंद कराने पर जुर्माना नहीं

भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास वित्त कंपनियों को निर्देश दिया, घर खरीदारों को मिलेगी राहत

त्योहारी सीजन में घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरीबीआई) ने आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत आवास वित्त कंपनियों से होम लोन लेकर समय से पहले बंद करवाने या पूर्व भुगतान करने पर अब कोई जुर्माना नहीं देना होगा।

इसके साथ ही आवास वित्त कंपनियों को निर्देश दिया गया कि उनका नेट असेट्स का 60 फीसदी हिस्सा हाउसिंग फाइनेंस में होना चाहिए। कंपनियों को 31, मार्च 2024 तक इस मानदंड को पूरा करना होगा। साथ ही कंपनियों को कुल लोन मूल्य का 50% व्यक्तिगत ऋणदाता को देना होगा। वहीं, किसी बिल्डिंग के डेकोरेशन या मार्गेज के लिए दिया गया लोन होम लोन के अंतर्गत नहीं आएगा। केन्द्रीय बैंक ने साफ किया है कि सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हुआ लोन ही होम लोन के दायरे में आएगा।

कम ब्याज पर मिल पाएगा होम लोन : विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियों को अपने नेट असेट का 60 फीसदी होम लोन के तौर पर देना होगा। यानी, उनको अपने कारोबार में होम लोन को मुख्य रूप से शामिल करना होगा। इससे व्यक्तिगत होम लोन लेने वाले को राहत मिलेगी। ग्राहकों को वे आकर्षित करने के लिए सस्ते ब्याज दर पर लोन मुहैया कराएंगी।

डबल फाइनेंसिंग पर इस कदम से लगेगी रोक : बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि आरबीआई के निर्देश के मुताबिक इसका उद्देश्य ग्रुप कंपनियों को लोन देने के कारण दोहरे वित्तपोषण पर चिंताओं को समाप्त करना है।

कर्जदारों को इस फैसले से बड़ी बचत होगी : आवास वित्त कंपनियां होम लोन के बकाया रकम का पूर्व भुगतान पर 2-3% पेनल्टी वसूलती है। ऐसे में अगर होम लोन में 20 लाख रुपये का बकाया है तो आपको 60 हजार रुपये का भुगतान पेनल्टी के तौर पर आवास वित्त कंपनी को देना होता था। नए नियम के बाद यह रकम अभी नहीं देनी होगी। यह रकम बचत होगी।

कंपनी के पास 25 करोड़ रुपये की पूंजी जरूरी : भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास वित्त कंपनियों के लिए न्यूनतम स्वामित्व कोष (एनओएफ) की सीमा 25 करोड़ रुपये तय कर दी है। जिस आवास वित्त कंपनियों का एनओएफ 25 करोड़ रुपये से कम है उन्हें 31 मार्च 2022 तक 15 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2023 तक 25 करोड़ रुपये की सीमा को पूरा करना होगा। रिजर्व बैंक ने आवास वित्त कंपनियों के लिए संशोधित नियम जारी किए हैं।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 24.10.2020)

दिसम्बर से 24 घंटे 7 दिन आरटीजीएस की सुविधा

इस साल दिसम्बर से आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के जरिये 24 घंटे और हफ्ते के सातों दिन पैसे ट्रांसफर किये जा सकेंगे। आरटीजीएस एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा है। अभी दूसरे और चौथे शनिवार व रविवार को छोड़ कर बाकी दिनों में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक यह सुविधा उपलब्ध है।

आरबीआइ ने अपने बयान में कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर ऐसे गिने-चुने देशों में होगा, जहाँ 24 घंटे, सातों दिन, 12 महीने बड़ी रकम के भुगतान के लिए तत्काल निबटान प्रणाली होगी। आरबीआइ पिछले साल दिसम्बर से ही एनइएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर) सुविधा को 24X7 उपलब्ध करा रहा है। आरटीजीएस के जरिये जहाँ बड़ी राशि का त्वरित ट्रांसफर किया जाता है, जबकि एनइएफटी का इस्तेमाल दो लाख रुपये तक की राशि को भेजने के लिए किया जाता है। इस कदम से भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्रों के विकास में मदद मिलेगी। **(साभार : प्रभात खबर, 10.10.2020)**

सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोषों के पंजीकरण आवेदन की रूप रेखा जारी की

बाजार नियामक सेबी ने वैकल्पिक निवेशक कोषों (एआइएफ) के पंजीकरण के लिए आवेदन की मंजूरी को लेकर नियम कायदे जारी किये। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार आवेदनों के प्रसंस्करण और नयी योजना शुरू किये जाने के साथ यह देखा गया कि एआईएफ प्रबंधक प्राय: एक निवेश समिति गठित करने का प्रस्ताव करते हैं। समिति के पास प्रबंधक को निवेश के बारे में सिफारिश करने की जिम्मेदारी होती है। कुछ आवेदनों में निवेश समिति को एआईएफ के निवेश निर्णय की मंजूरी की जिम्मेदारी दी गयी होती है। ऐसी समितियों में आंतरिक सदस्यों के रूप में कर्मचारी, निदेशक या प्रबंधक भागीदार तथा/या बाह्य सदस्य शामिल हो सकते हैं। इस सप्ताह की शुरूआत में नियामक ने एआईएफ नियमों में संशोधन किया था। इसके तहत यह व्यवस्था की गयी कि प्रबंधक एआईएफ के निवेश फैसलों

को मंजूरी देने के लिये एक निवेशक समिति गठित कर सकते हैं जो कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा। सेबी ने परिपत्र में कहा, जिन आवेदनों में निवेश समिति एआइएफ के निवेश फैसलों की मंजूरी देने के लिये गठित करने का प्रस्ताव होगा। **(साभार : प्रभात खबर, 23.10.2020)**

पैन कार्ड खो जाने पर घर बैठे बनवाएँ डुप्लीकेट कार्ड

पैन कार्ड एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर पैन कार्ड खो जाये, तो आपके कई काम रूक जाते हैं। कोरोना महामारी के दौर में अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है तो आप अब घर बैठे डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवा सकते हैं।

ऐसे करें आवेदन : आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलग से आवेदन करना होगा। इसके लिए चार आसान तरीकों से गुजरना होगा। ध्यान रखें कि डुप्लीकेट पैन कार्ड में पुराने पैन कार्ड के आधार पर ही विवरण भरा जायेगा। आप कोई भी नयी जानकारी अपडेट नहीं कर सकते।

पहला कदम : ऑनलाइन डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाने के लिए पहले इनकम टैक्स पैन सर्विसेज युनिट की वेबसाइट पर जायें। यहाँ 'रीप्रिंट ऑफ पैन कॉर्ड' का विकल्प अपनायें।

दूसरा कदम : अब सामने ओपन हुए फॉर्म के सभी कॉलम भरें। आपको बायें मार्जिन के बॉक्स में किसी पर भी सही का निशान नहीं लगाना है। इसके बाद 105 रुपये का पेमेंट करना होगा। जब आप फॉर्म जमा करेंगे, तो सामने एकनॉलेजमेंट रसीद आ जायेगी।

तीसरा कदम : अब इस रसीद का प्रिंट निकाल लें, इस पर रंगीन फोटो चिपका कर दस्तखत करें और इसे आइडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के साथ एनएसडीएल के पुणे स्थित कार्यालय में भेज दें।

चौथा कदम : सभी कागजात ऑनलाइन आवेदन के 15 दिन के अंदर एनएसडीएल के ऑफिस में पहुँच जाने चाहिए। इसके 15 दिन के बाद आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड मिल जायेगा।

इ-पैन कर सकते हैं डाउनलोड : इसके लिए वेबसाइट https://www.tin-nsdl.com पर जायें और होम पेज पर सबसे नीचे 'रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड' के विकल्प पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा, यहाँ पैन नंबर, आधार और बर्थ डेट भरें और चेक बॉक्स पर क्लिक करें। अब इमेल या मोबाइल में ओटीपी का विकल्प आयेगा। ओटीपी सबमिट करें। इसके बाद 50 रुपये फीस जमा करके आप प्रिंट के लिए क्लिक करें। अब आपके मोबाइल पर मैसेज आयेगा। मैसेज में दिये गये लिंक से इ-पैन डाउनलोड कर सकते हैं। **(साभार : प्रभात खबर, 19.10.2020)**

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अवधि 31 दिसम्बर तक बढ़ी

सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा दो महीने बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2020 कर दी है। सरकार ने पिछले महीने यह अवधि 31 अक्टूबर, 2020 तक के लिए बढ़ाई थी। केन्द्रीय परोक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 का सालाना जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर-9) और मिलान का विवरण (जीएसटीआर-9सी) भरने की समय-सीमा बढ़ाने की लगातार मांग हो रही थी। देशभर से कारोबारियों ने इसी आधार पर समय-सीमा बढ़ाने की मांग की थी। **(साभार : दैनिक जागरण, 25.10.2020)**

10 करोड़ से अधिक के टर्नओवर पर ही टीसीएस

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने को कहा कि कोई भी विक्रेता एक अक्टूबर 2020 से स्त्रोत पर कर की कटौती (टीसीएस) तभी कर सकेगा, जब पिछले वित्त वर्ष में उसका कारोबार 10 करोड़ रुपये से अधिक रहा हो। वित्त विधेयक 2020 में टीसीएस से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है। ये संशोधन एक अक्टूबर 2020 से लागू होंगे। इसमें कहा गया है कि सामान के विक्रेता की किसी खरीदार से बिक्री से होने वाली प्राप्ति वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक होने पर 0.1 फीसदी (0.075 फीसदी 31 मार्च 2021तक) की दर से टैक्स कलेक्ट करेगा।

बयान में कहा गया है कि सामान के निर्यात पर टीसीएस के प्रावधान से छूट दी गयी है। सीबीडीटी ने कहा है कि टैक्स कलेक्ट करने वालों के लिये तय की गयी ऊँची सीमा और टीसीएस की काफी कम दर होने से इस प्रावधान की वजह से कलेक्शन करने वालों पर कोई भी नया अनुपालन बोझ नहीं पड़ेगा और न ही उनके लिए किसी तरह की परेशानी होगी। **(साभार : प्रभात खबर, 1.10.2020)**

पटरी पर आती अर्थव्यवस्था : जीएसटी रिकवरी में हिन्दी पट्टी के राज्यों का सबसे अधिक योगदान

कर संग्रह में उत्तर का प्रदर्शन उत्तम

टॉप-5 प्रदेशों में 3 राजस्थान, हरियाणा छत्तीसगढ़

राज्य	राशि 20	राशि 19	इजाफा
जम्मू-कश्मीर	368	282	30%
छत्तीसगढ़	1,841	1,490	24%
राजस्थान	2,647	2,253	17%
हरियाणा	4,712	4,110	15%
झारखण्ड	1,656	1,509	10%
हिमाचल प्रदेश	653	609	7%
दिल्ली	3,146	3,386	7%
गुजरात	6,090	5,741	6%
पंजाब	1,194	1,133	5%
उत्तराखण्ड	1,065	1,017	5%
मध्यप्रदेश	2,176	2,087	4%
बिहार	996	986	1%
उत्तर प्रदेश	5,075	5,073	0.05%

(नोट : आंकड़े करोड़ रुपये में)

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 3.10.2020)

20 राज्यों को मिली 68,825 करोड़ रुपए कर्ज लेने की मंजूरी

किस राज्य को कितनी राशि की मिली अनुमति

राज्य	स्वीकृत राशि	राज्य	स्वीकृत राशि
बिहार	3,231	मध्य प्रदेश	4,746
गुजरात	8,704	महाराष्ट्र	15,394
हरियाणा	4,293	उत्तर प्रदेश	9703
हिमाचल प्रदेश	877		

(नोट : आंकड़े करोड़ रुपये में)

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 14.10.2020)

वित्त वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर तक बढ़ी

आयकर विभाग ने 2018-19 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख दो महीने बढ़ाकर को 30 नवम्बर कर दी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक आदेश में कहा कि कोरोना वायरस संकट के चलते करदाताओं को पेश आ रही परेशानियों को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। आकलन वर्ष 2019-20 के लिए देरी से या संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितम्बर 2020 से बढ़ाकर 30 नवम्बर 2020 कर दी गई है। कोविड-19 संकट के चलते वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार की ओर से यह चौथी बार समय सीमा बढ़ाई गई है। इससे पहले मार्च में सरकार ने अंतिम तारीब को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 किया था। बाद में इसे 31 जुलाई 2020 तक और फिर 30 सितम्बर 2020 तक बढ़ाया गया। विभाग ने करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एसएमएस भेजना शुरू किया है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 1.10.2020)**

100 करोड़ से अधिक के बी-टू-बी टर्नओवर पर इ-इनवॉयस जरूरी

जीएसटी के इ-इनवॉइसिंग सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगले साल पहली जनवरी से यह सिस्टम उन सभी बिजनेस के लिए भी जरूरी हो जायेगा जिनका बिजनेस टू बिजनेस (बी टू बी) ट्रांजेक्शन के लिए टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है।

वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि इ-इनवॉइसिंग सिस्टम अंतत: वर्तमान जीएसटी रिटर्न फाइल करने के सिस्टम से चल रहे छोटे कारोबारियों और माइक्रो, एमएसएमइ के लिए लाभकारी होगा।

जल्द ही खत्म होगी इ-वे बिल की जरूरत : जीएसटी कानून के तहत बीटूबी ट्रांजेक्शन्स के लिए 1 अक्टूबर से 500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए इ-इनवॉयस जरूरी बना दिया गया है। राजस्व सचिव और वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर होने पर इ-इनवॉयस जरूरी होगा और 1 अप्रैल 2021 से सभी टैक्सपेयर्स के लिए बीटूबी ट्रांजेक्शन्स पर इ-इनवॉयस जरूरी होगा। यह सिस्टम फिजिकल इनवॉयस की जगह लेगा और जल्द ही वर्तमान इ-वे बिल सिस्टम को भी हटा देगा और टैक्सपेयर को अलग से इ-वे बिल जनरेट नहीं करना होगा।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 10.10.2020)

जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में बिहार समेत 16 राज्यों को मिले 6000 करोड़

जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्र ने उधारी लेने का काम शुरू कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, जीएसटी क्षतिपूर्ति के पहले अंश के रूप में केन्द्र ने 6,000 करोड़ रुपये उधार लेकर 16 राज्यों को दिया है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी संग्रह में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने विशेष उधारी प्रबंध किया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 21 राज्य और दो केन्द्र शासित प्रदेशों ने इस विशेष प्रबंध के तहत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने को लेकर अपनी सहमति दी है। केन्द्र ने 5.19 फीसद ब्याज दर पर उधार लिया है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, राज्यों को साप्ताहिक आधार पर 6,000 करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं। जिन 16 राज्यों को राशि दी गई है, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं दो केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली व जम्मू व कश्मीर शामिल हैं।

(साभार : दैनिक जागरण, 24.10.2020)

25000 करोड़ के अतिरिक्त पूंजीगत खर्च का भी एलान

राज्यों को मिलेगा ₹ 12,000 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज

राज्यों के लिए 12, 000 करोड़ रुपये के लोन के अलावा वित्त मंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा 25,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पूंजीगत खर्च का भी एलान किया। अतिरिक्त पैसा सड़क, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की सप्लाई व शहरी विकास पर खर्च करने के लिए होगा। यह 4.13 लाख करोड़ रुपये के निर्धारित बजट के अतिरिक्त होगी। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 13.10.2020)**

डाक सेवा में फॉर्म के जरिये पैसे जमा करने और खाता खोलने की अनुमति

भारतीय डाक सेवा ने ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना समेत अन्य पोस्टल बचत योजनाओं में निवेश करना आसान कर दिया है। डाक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार डाक घर के ग्रामीण डाक सेवक ब्रांचों में चेक की सुविधा नहीं है।

इसी को देखते हुए विड्रॉल फॉर्म (एसबी-7) के जरिये डिपॉजिट और अकाउंट खोलने की अनुमति दी गयी है। डाक विभाग के इस फैसले के बाद अब ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच में आगामी डिपॉजिट और नये खाता खोलने के लिए विड्रॉल फॉर्म (एसबी-7) के साथ संबंधित स्कीम के लिए एसबी, आरडी, एसएसए या पीपीएफ की पासबुक भी दिखानी होगी। इस फॉर्म के साथ पाँच हजार रुपये तक जमा किये जा सकेंगे। **(साभार : प्रभात खबर, 8.10.2020)**

'नो कॉस्ट इएमआइ' विकल्प चुनने से पहले करें पड़ताल

समय पर किस्त नहीं भरने पर पेनाल्टी अलग : अगर आप नो कॉस्ट इएमआइ स्कीम का चयन करते हैं और आप रिटेलर्स से सामानों को खरीदते हैं, तो हो सकता है उनके साथ जुड़े कुछ एडवांस कैश डिस्काउंट आपको न मिले। इसके अलावा हर कीमत पर जीएसटी साथ ही प्रसंस्करण शुल्क जैसे अतिरिक्त लागतों का भी पेमेंट करना पड़ सकता है। जैसे कोई बैंक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं, जो ग्राहक के द्वारा लिये गये उत्पाद की पहली माह की इएमआइ में जुड़कर आती है। आपके कार्ड स्टेटमेंट में हर माह वस्तु के मूल्य से अधिक आपकी खरीददारी पर जीएसटी लगता रहेगा। बैंक अधिकारियों की मानें तो यह स्कीम ग्राहकों के लिए कर्ज का जाल बन सकती है। अगर ग्राहक वक्त पर इएमआइ जमा नहीं कर पाते हैं तो बैंक पेनाल्टी के साथ आपके इएमआइ पर एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जो महीने का दो से चार फीसदी तक हो सकता है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 31.10.2020)

'विवाद से विश्वास' स्कीम की आखिरी तारीख तीन महीने बढ़ी

वित्त मंत्रालय ने 'विवाद से विश्वास' स्कीम की आखिरी तारीख तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 दिसम्बर 2020 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत करदाता कोई भी अतिरिक्त शुल्क दिये बिना ही अपने पुराने टैक्स विवाद निबटा सकते हैं। इस स्कीम का मकसद लंबित कर विवादों का समाधान करना है। तमाम अदालतों में टैक्स से जुड़े 9.32 लाख करोड़ रुपये के 4.83 लाख मामले लंबित हैं। इस स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा। उन्हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी।

(साभार : प्रभात खबर, 28.10.2020)

50.7 लाख एमएसएमइ को ₹ 1.87 लाख करोड़ के कर्ज हुए मंजूर

वित्त मंत्रालय ने को कहा कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित एमएसएमइ के लिए बैंकों ने आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 50.7 लाख इकाइयों को करीब 1,87,579 करोड़ रुपये कर्ज की मंजूरी दी है। इसमें से पाँच अक्टूबर तक 27 लाख एमएसएमइ इकाइयों को कुल 1,36,140 करोड़ रुपये आवंटित किये जा चुके हैं। **(साभार : प्रभात खबर, 9.10.2020)**

पेटीएम क्रेडिट कार्ड से पैसा डालने पर २ प्रतिशत शुल्क लेगी

डिजिटल भुगतान संबंधी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी पेटीएम अब क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसा जोड़ने पर दो प्रतिशत शुल्क लेगी।

अभी तक यदि कोई उपभोक्ता एक महीने में क्रेडिट कार्ड से अपने वॉलेट में 10 हजार रुपये से अधिक जोड़ता था, तभी दो प्रतिशत शुल्क देना होता था। जैसे ही कोई उपभोक्ता अपने पेटीएम वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से पैसे जोड़ने के विकल्प पर जाता है, कंपनी की ओर से उसे संदेश मिलता है, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हुए पैसे जोड़ने पर दो प्रतिशत का नाममात्र शुल्क लागू होता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.10.2020)

500 करोड़ से अधिक टर्नओवर पर इ-इनवॉइसिंग व्यवस्था

जीएसटी इ- इनवॉइसिंग प्रावधान को लेकर कार्यशाला : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत एक अक्टूबर से इ-इनवॉइसिंग व्यवस्था लागू की गयी है। इसके तहत जिन कंपनियों का सालाना कारोबार 500 करोड़ रुपये से ज्यादा है, उन्हें यूनिक इनवॉइस रेफरेंस पोर्टल पर इ-रसीद का सृजन और इससे जुड़ी रसीद का सृजन करना अनिवार्य कर दिया गया है।

100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाली कंपनियों पर भी व्यवस्था : बाद में 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाली कंपनियों पर यह व्यवस्था लागू होगी। किस वर्ष के टर्नओवर को आधार के रूप में लिया जायेगा, इस विषय पर यह स्पष्ट किया गया कि पिछले तीन वर्षों यानी 2017-18, 2018-19, 2019-20 में से किसी भी एक वर्ष में टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक हुआ है, तो उस पर यह व्यवस्था लागू होगी। इसके अलावा भी विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न पहलूओं पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। **(साभार : प्रभात खबर, 18.10.2020)**

चेक के जरिए खुदरा भुगतान में दर्ज हुई भारी गिरावट

- वर्ष 2019-20 में चेक से भुगतान की हिस्सेदारी सिर्फ 3% रही
- डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने से घटा है चेक के जरिए भुगतान

डिजिटल भुगतान और समाधान प्रणाली को तेजी से आगे बढ़ाने के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन की वजह से बीते वित्त वर्ष 2019-20 में चेक के जरिए खुदरा भुगतान का आंकड़ा काफी नीचे आ गया है।

(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 19.11.2020)

शहरी इलाकों में पहले लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर

बिजली नुकसान कम करने को कंपनी ने बनाई रणनीति

स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने की योजना अब शहरों से शुरू होगी। खासकर वैसे शहरी व अर्धशहरी इलाके जहाँ बिजली नुकसान अधिक है, वहाँ सबसे पहले मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद ही ग्रामीण इलाकों में मीटर लगाए जाएंगे।

राज्य का बिजली नुकसान अब भी 33 फीसदी से अधिक है। यानी कुल आपूर्ति का एक तिहाई बिजली या तो चोरी हो जा रही है या तकनीकी नुकसान के कारण उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 25.11.2020)**

महंगी बिजली का लग सकता है करंट

पहले से ही महंगी बिजली, अब दरें और बढ़ाने का प्रस्ताव

बिहार में एक बार फिर बिजली महंगी करने की तैयारी चल रही है। जल्द ही बिजली कंपनियाँ इसके लिए बढ़े दरों की भांग का प्रस्ताव रेग्यूलेटरी कमीशन को भेजेगी। जबकि इस बात पर सरकार का कोई कन्सर्न नहीं कि अन्य राज्यों में शहरी और औद्योगिक बिजली की दरें कम क्यों हैं।

यदि यहाँ कम नहीं है तो इसके लिए क्या उपाय किए जाएँ। सिर्फ यही नहीं, बिजली की दरों की जन सुनवाई को लेकर हमेशा ही बिजली कंपनियों की ओर से घाटा कम करने के उपायों पर समुचित रूप से अमल नहीं किए जाने का मुद्दा उठता है, लेकिन उन्हें दोषी नहीं मानते हुए उपभोक्ता पर ही बिजली की दरें बढ़ाकर लिए जाने का प्रयास किया जाता है। एक बार फिर इसे ही दोहराने की तैयारी है।

वर्तमान बिजली दर

(शहरी क्षेत्र, बिहार)

युनिट	दर
1-100	6.05 रुपये
101-200	6.85 रुपये
201-300	7.70 रुपये
300 से ऊपर	8.50 रुपये

तुलनात्मक दर राज्यों का

(प्रति 100 यूनिट तक)

बिहार	6.05 रुपये
वेस्ट बंगाल	4.89 रुपये
छत्तीसगढ़	3.80 रुपये
ओडीसा	4.30 रुपये
यूपी	5.50 रुपये
एमपी	4.95 रुपये

(आंकड़े - प्रति यूनिट में)

एक कंपनी ने भेजा आकलन : हर साल बिजली कंपनियों को राजस्व और अनुमानित खर्च का आकलन भेजना पड़ता है। इस बार यह तय समय सीमा 15 नवम्बर तक थी। जिसे अब 15 दिन और बढ़ाया गया है। फिलहाल बिहार ग्रिड कंपनी ने प्रस्ताव जमा किया है। इसके अलावा अन्य चार कंपनियों ने अभी प्रस्ताव नहीं भेजा है। **(विस्तुत : आई नेक्स्ट, 23.11.2020)**

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन में नए औद्योगिक क्षेत्र शामिल

भारत को मैन्यूफैक्चरिंग हब एवं वैश्विक सप्लाई चेन का प्रमुख हिस्सा बनाने के उद्देश्य से 10 और औद्योगिक क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना से जोड़ने का फैसला किया गया है। इन 10 औद्योगिक क्षेत्रों को अगले पाँच वर्षों में 1, 45,980 करोड़ रुपये के इंसेंटिव दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इस फैसले पर मुहर लगा दी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार के इस फैसले से भारत मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, विदेशी निवेश के साथ निर्यात में बढ़ोतरी होगी और नए रोजगारों का सृजन होगा। 10 औद्योगिक क्षेत्रों के चुनाव में इन बातों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने बताया कि पीएलआइ स्कीम को लागू करने का काम औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित विभाग करेंगे। विभाग इसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार करेंगे जिसे वित्त मंत्रालय की कमेटी मंजूरी देगी और फिर उस पर अमल शुरू होगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 12.11.2020)**

बाढ़ ने 18 जिलों में औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को पहुँचायी क्षति

इस साल अगस्त और सितम्बर में आयी बाढ़ ने बिहार में 18 जिलों के औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को अच्छा-खासा नुकसान पहुँचाया है। उद्योग विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद संबंधित जिलों के औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में हुए नुकसान का व्यापक मूल्यांकन शुरू कराया गया है। यही नहीं औद्योगिक उत्पादन के नुकसान का भी आकलन किया रहा है।

औद्योगिक उत्पादन के नुकसान का आकलन शुरू : सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सीवन, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर और वैशाली जिलों के औद्योगिक केन्द्रों के महाप्रबंधकों को बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए कहा कहा गया है। विभागीय जानकारी के मुताबिक इनमें अधिकतर वह जिले हैं, जहाँ कोविड संक्रमण के दौर में दूसरे राज्यों से घर लौटे श्रमिकों को काम दिलाने एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए लोन एवं अनुदान योजनाएँ भी चलायी गयी थीं। लिहाजा उद्योग विभाग इस दिशा में बड़ी गंभीरता से काम कर रहा है। उद्योग निदेशक ने कहा है कि नुकसान के आकलन के बाद बताया जाये कि इसे सुघरवाने में कितना खर्च किया जायेगा। जानकारी हो कि इस बार प्रदेश में उन इलाकों में भी बाढ़ की भयंकरता देखी गयी, जहाँ अभी तक सामान्य बाढ़ ही आया करती थी।

(साभार : प्रभात खबर, 22.11.2020)

औद्योगिक गतिविधियाँ हुईं तेज बिजली खपत 11.45 प्रतिशत बढ़ी

55.37 अरब यूनिट्स बिजली की खपत इस वर्ष अक्टूबर के पहले पखवाड़े में हुई • 97.84 अरब यूनिट्स बिजली की खपत पिछले साल पूरे अक्टूबर माह में हुई थी

लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती आयी थी वह अब धीरे-धीरे खत्म होता दिख रहा है। अनलॉक के दौरान मिली छूट की वजह से औद्योगिक और कॉमर्शियल गतिविधियों में तेजी आ गयी है। इससे बिजली की मांग और खपत में भी तेजी आ रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर के पहले पखवाड़े में देश में बिजली की खपत 11.45 प्रतिशत बढ़ गयी है। और इसका मुख्य कारण देश की औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों में आयी तेजी है।

पिछले साल अक्टूबर में पूरे माह में बिजली की खपत 97.84 अरब यूनिट रही थी। जबकि इस वर्ष अक्टूबर के पहले 15 दिनों में 55.37 अरब यूनिट की खपत हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर के आंकड़ों संकेत मिलता है कि सालाना आधार पर माह के दौरान बिजली खपत में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज होगी। **(साभार : प्रभात खबर, 19.10.2020)**

नया कनेक्शन लेने पर लगेगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर

स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिल में घंटे का जिक्र हो रहा है। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर में घंटे की रीडिंग हो रही है। लेकिन, ज्यादातर नॉर्मल पोस्टपेड मीटर में घंटे की गणना करने की तकनीक नहीं है। अगले महीने से सुविधा एप के माध्यम से नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेगा। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान समय में नया कनेक्शन लेने के आवेदन देने वाले उपभोक्ताओं के यहाँ नॉर्मल पोस्टपेड मीटर लगाया जा रहा है। इससे बिजली कंपनी को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। कारण, कुछ दिन बाद इसे हटा कर स्मार्ट मीटर लगाना है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 25.10.2020)**

गाँव-गाँव में लघु उद्योग लगाने की तैयारी

अगरबत्ती, मधुमक्खी पालन और मिट्टी के बर्तन निर्माण से होगी शुरुआत, एमएसएमई की ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत लगेंगे उद्योग

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के साथ ही गाँव-गाँव में उद्योगों को बढ़ावा देने में जुट गई है। इसके लिए ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाइ) के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालय की तरफ से गांवों में अगरबत्ती निर्माण, मधुमक्खी पालन और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए नई योजना की शुरूआत की गई है। प्रशिक्षण के बाद ग्रामीणों को उद्योग लगाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य तीनों ही क्षेत्रों में एक-दो साल के बाद क्लस्टर आधारित उत्पादन शुरू करने की है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 10.10.2020)**

स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल से भी औद्योगीकरण कर सकते हैं

तीन लक्ष्य बनाने होंगे : सबसे पहले भारत को जरूरत है सौर और पवन ऊर्जा की। ये कोयला और ताप संयंत्रों की जगह ले लेंगे। दूसरा भारत को अक्षय ऊर्जा को अर्थव्यवस्था के खास सेक्टर जैसे इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन आदि में बढ़ाना होगा। तीसरा हमें मूल रूप से अधिक ऊर्जा सक्षम बनना चाहिए।

इन्हें ऐसे करेंगे हासिल : इसके लिए भारत को हजारों गीगीवॉट्स के पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने होंगे। हम देश की बंजर भूमि के 10 प्रतिशत से भी कम हिस्से का इस्तेमाल कर ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। देश में खासकर तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का भी इसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

हमारी बचत भी होगी : अच्छी बात यह है कि पवन और सौर ऊर्जा कोयले से कहीं अधिक सस्ती है। देश में सोलर फार्म लगाने की लागत भी दूसरे देशों के मुकाबले कम आती है। बैटरियाँ भी अब चमत्कारी तौर पर सस्ती है। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर गुजरात के तेज पवन तटों तक बड़े पैमाने पर नवीकरन ऊर्जा संयंत्र बनाने की जरूरत है।

विद्युतीकरण बढ़ाना : हमें सभी रेलगाड़ियों को बिजली से चलाना होगा। इसी से ज्यादा से ज्यादा माल ढुलाई करनी होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ाना होगा और उनकी चार्जिंग की व्यवस्था करना होगा। स्थानीय पावर ग्रिड भी बढ़ानी होंगी ताकि बिजली की मांग को संभाला जा सके। (अक्टूबर 2020 की टेड टॉक से) **(साभार : दैनिक भास्कर, 21.11.2020)**

भारत का व्यापार घाटा 2019-20

(बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

चीन	48.66	कतर	8.42	सिंगापुर	5.82
इराक	21.86	कुवैत	8.28	जर्मनी	5.06
सऊदी अरब	20.62	जापान	7.91	रूस	4.07
स्विट्जरलैंड	15.69	आस्ट्रेलिया	6.93	कुल	179.57
इंडोनेशिया	10.93	नाइजीरिया	6.60		
दक्षिण कोरिया	10.81	हाँगकांग	5.96		

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 2.11.2020)

नगर निकायों को तैयारी के निर्देश

तैयारी : नरेन्द्र मोदी करेंगे पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा

मिलेगा लाभ : • वेंडरों को दस हजार लोन देने की योजना • अब तक 58 हजार के लगभग वेंडरों ने दिये हैं आवेदन

प्रधानमंत्री जल्द ही नगर निकायों में चलायी जा रही पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करेंगे। अन्य राज्यों की समीक्षा के बाद आने वाले कुछ दिनों में राज्य के निकायों में प्रगति की भी समीक्षा की जायेगी। चुनाव होने के कारण इसमें अन्य राज्यों के साथ समीक्षा नहीं की गयी। अब राज्य के नगर निकायों को तैयार रहने के निर्देश दिये गये हैं। लॉकडाउन के समय से लेकर अब तक कितने स्ट्रीट वेंडरों को दस हजार लोन की देने के लिए तैयार किया गया है। कितने वेडरों को लोन मिल चुका है और वेंडरों को लोन मिलने में क्या समस्या आ रही है, इसकी समीक्षा की जायेगी। राज्य में भी नगर विकास व आवास विभाग के माध्यम से चलायी जा रही स्वनिधि योजना को लेकर काम किया जा रहा है।

गौरतलब है कि देश भर में एक जून से इस योजना की शुरूआत की गयी थी। इसके तहत लॉकडाउन में बेरोजगार हुए वेंडरों को फिर से काम की शुरूआत के लिए दस हजार रुपये का लोन दिया जाना है।

सात निकायों चल रही योजना : राज्य के सात शहरों पटना, गया, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा में यह योजना चलायी जा रही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए इस योजना के तहत इन सातों शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में अपनी सब्जी, फल आदि को बेचने हेतु आने वाले वेंडर्स को भी लोन दिया जाना है। इसमें डिजिटल लेनदेन को बढ़ाने को लेकर भी सभी वेंडर्स को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया है। लोन की राशि जमा करने वाले को कैशबैक भी मिलेगा और सात फीसदी की सरकारी सब्सिडी भी मिलेगी। कैशबैक और सब्सिडी मिलने के बाद वेंडर का लोन पूर्णत: ब्याजमुक्त हो सकेगा। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 27.11.2020)**

नए सिरे से वेंडिंग जोन के लिए जगह का होगा चयन

सड़कों के किनारे व्यवसाय करने वालों के लिए वेंडिंग जोन बनाने की दो वर्ष पहले बनी योजना हेतु नए सिरे से वेंडिंग जोन के लिए जगह का चयन किया जाएगा।

यह जानकारी प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि बिना निविदा के कार्य को प्रारंभ कर दिया गया था। सड़कों के किनारे वेंडिंग जोन अव्यवहारिक रूप से बनाया जा रहा है। इसकी नए सिरे से समीक्षा की जाएगी।

विदित हो कि बोरिंग कैनाल रोड के बीच वाले हिस्से में पहले वाहन पार्किंग स्थल बना। फिर उस स्थान पर वेंडिंग जोन बना दिया गया। वेंडिंग जोन निर्माण के साथ ही विवाद में आ गया। वहीं, कदमकुआँ सब्जी मंडी को तोड़ दिया गया। वेंडिंग जोन बनाने के लिए कार्य शुरू हुआ और बंद हो गया। पटना वीमेंस कॉलेज के पास वेंडिंग जोन बनाने की योजना भी धरातल पर नहीं उतर सकी। शहर के एक दर्जन से अधिक स्थानों पर वेंडिंग जोन निर्माण के लिए स्थल चयन किया गया। **(साभार : दैनिक जागरण, 27.11.2020)**

कोरोना: 15 दिन का अलर्ट जारी

वाहन चलाते समय मास्क जरूरी, नहीं तो जब्त होगा

दुकान में भी ग्राहक या दुकानदार बिना मास्क तो बंद किया जाएगा

कई राज्यों में दूसरी लहर आने के बाद बिहार सरकार ने कोरोना को गंभीरता से लिया है। 23.11.2020 को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कई निर्णय लिए गए। बिना मास्क गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर गाड़ी जब्त करने का फैसला लिया गया है। यह नियम टू व्हीलर व फोर व्हीलर सहित सभी वाहनों पर लागू होगा। साथ ही, दुकानों पर अगर बिना मास्क के दुकानदार या ग्राहक मिले तो दुकान को तत्काल बंद कर दी जाएगी। कोरोना के मद्देनजर सरकार ने 15 दिन का अलर्ट जारी किया है। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 24.11.2020)**

कार्गो से डाक विभाग विदेश भेजेगा सामान

कोई भी व्यक्ति विदेशों में आसानी से पत्र, पार्सल सहित अन्य समान की बुकिंग करा सकेगा। इसके लिए बिहार डाक सर्किल प्रदेश के सभी डाक प्रमंडलों में अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए डाकघर व्यापार विभाग की तरफ से सर्किल में प्रपोजल दिया गया है। शहरवासियों की सुविधा के लिए पहले चरण में पटना जीपीओ और बांकीपुर डाकघर में यह केन्द्र खुलेगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारी चल रही है। फरवरी तक लोगों को इसकी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

स्कैनर से जांच के बाद एयरपोर्ट जाएगा पार्सल : बिहार डाक सर्किल पत्र, पार्सल सहित अन्य सामान को विदेश भेजने के लिए कार्गो जहाज और अन्य पैसेंजर जहाज से करार करेगा। पार्सल के अनुसार डाक विभाग तय करेगा कि कौन सामान कार्गो में जा सकता है और कौन पैसेंजर जहाज में। समय को ध्यान में रखते हुए सामान की बुकिंग की जाएगी। समय सीमा के अंदर सामान विदेश पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 9.11.2020)**

दुकानदारों को रखना होगा डस्टबिन, कचरा सड़कों पर फेंका तो कार्रवाई

पटना सिटी में अब दुकानदारों को डस्टबीन रखना होगा। सड़क पर कचरा फेंकने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम अजीमाबाद अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने इस बाबत पटना सिटी एवं अजीमाबाद अंचल के सफाई निरीक्षकों एवं सुपरवाइजर के साथ बैठक की। इसके खिलाफ नगर निगम की ओर से अभियान भी चलाया जाएगा और पकड़े जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। उन्होंने बताया कि पटना सिटी में दो जगहों पर फव्वारा भी लगाया जाएगा, ताकि शहर सुंदर दिखे।

(साभार : दैनिक भास्कर, 26.11.2020)

फोन नंबर में शून्य लगाने की तिथि बढ़ी

अगले साल 15 जनवरी से लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करते वक्त उसके नंबर के आगे शून्य लगाना पड़ेगा। संचार मंत्रालय के मुताबिक, लैंडलाइन से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल कॉल पर कोई बदलाव नहीं हुआ है।

पहले को खबर आई थी कि एक जनवरी से लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने पर शून्य लगाना होगा। गौर हो कि दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 29 मई 2020 को नंबर से पहले जीरो लगाने की सिफारिश की थी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 26.11.2020)**

भभुआ के गोविंद भोग चावल, भागलपुर के सिल्क मुजफ्फरपुर की शाही लीची का अब होगा निर्यात

प्रदेश के 30 जिले अब अपने उत्पादों का विदेशों में निर्यात कर सकेंगे। इसके लिए जिला स्तर पर एक्शन प्लान बनाया गया है। 31 दिसम्बर से इस प्लान को प्रभावी किया जाना है। दरअसल, जिलों से दो दर्जन से अधिक उत्पादों के निर्यात की रणनीति बनायी है। निर्यात सीधे स्थानीय इकाइयों के जरिये किया जायेगा। निर्यात के लिए विशेष रूप से चिह्नित जिलावार उत्पादों में पटना से दवाएँ, भभुआ का गोविंद भोग चावल, भागलपुरी सिल्क, मधुबनी की पेंटिंग, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, सीमांचल के जिलों से मखाना व जूट आदि शामिल हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक निर्यात उत्पादों के साथ टूरिज्म को भी जोड़ा गया है। एक्शन प्लान के जरिये न केवल स्थानीय स्तर के उत्पादक विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे, बल्कि यहाँ निवेश करने वाले उद्यमियों को भी फायदा होगा। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत निर्यात के लिए जिम्मेदार एजेंसी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) पूर्वी भारत ने पूरी तैयारी कर ली है 31 दिसम्बर से इसके लिए बने डिस्ट्रक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान को लागू किया जाना है।

इस प्लान को हाल ही में प्रधानमंत्री की तरफ से राज्यवार की गयी समीक्षा में मंजूरी भी दी जा चुकी है।

31 दिसम्बर से डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान होगा प्रभावी

जिलाबार-निर्यात योग्य उत्पाद

जिला	उत्पाद	जिला	उत्पाद
पटना	फार्मा	किशनगंज	जूट
अररिया	जूट	मधेपुरा	मखाना
औरंगाबाद	चावल	मधुबनी	पेंटिंग
बेगूसराय	आम व लीची	मुंगेर	तंबाकू
भागलपुर	भागलपुरी सिल्क व जर्दालू आम	मुजफ्फरपुर	शाही लीची
		पूर्णिया	जूट उत्पाद
भोजपुर	चावल	रोहतास	सीमेंट व लीची
दरभंगा	मखाना	सहरसा	आम व लीची
पूर्वी चंपारण	शूगर पेराई कल्टीवेटर्स	समस्तीपुर	शक्कर व लीची
गोपालगंज	चीनी व गुड़	सारण	आम
कैमूर	भभुआ के मोकरी का गोविंद भोग चावल	सीवान	कृषि आधारित उत्पाद
		सुपौल	जूट व कृषि उत्पाद
कटिहार	जूट, मखाना और चावल	वैशाली	बिस्कुट, बेकरी, ड्रिंकिंग वाटर
खगड़िया	जूट व मखाना	प. चंपारण	लकड़ी का फर्नीचर

"जिलों से निर्यात योग्य उत्पादों की सूची बन चुकी है। इस दिशा में अब और आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में एक्सपोर्ट की शानदार संभावनाएं हैं। इस प्लान से न केवल स्थानीय उत्पादकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि बिहार वित्तीय ताकत के रूप में सामने आयेगा।"

– उत्पल कुमार आचार्य, संयुक्त निदेशक, डीजीएफटी, भारत सरकार

(साभार : प्रभात खबर, 27.11.2020)

जल्द दौड़ेगी देश की पहली हाइ स्पीड डबल डेकर ट्रेन

देश की पहली हाई स्पीड डबल डेकर ट्रेन पटरी पर सरपट दौड़ने को तैयार है। कपूरथला की रेल कोच फैक्टरी (आरसीएफ) ने इसे तैयार किया है। इसे विशेष रूप से व्यस्त मार्गों के लिए तैयार किया गया है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा यात्रा को सुखद व आरामदायक बनाने के लिए इन कोचों में कई सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। आरामदायक यात्रा के लिए अनुकूलित चौड़ा गलियारा, खूबसूरत अंदरूनी दृश्य, ओवरहेड खुला सामान का रैक, खिड़कियों के साथ मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, ऑनबोर्ड वाई-फाई और अन्य यात्री केन्द्र सुविधाओं के साथ एलइडी गंतव्य बोर्ड इसकी विशेष सुविधाएँ हैं। 160 किमी प्रति घंटे की गति क्षमता वाला डबल डेकर कोच को आरसीएफ के जनरल मैनेजर रविंदर गुप्ता की मौजूदगी में रवाना किया गया। कोच को आगे के प्रशिक्षण के लिए अनुसंधान एवं डिजाइन मानक संगठन (आरडीएसओ लखनऊ) भेजा जायेगा। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 20.11.2020)**

31 दिसम्बर तक बनवा लें वाहनों के कागजात

कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन घोषित होने के बाद सरकार ने वाहनों के सभी कागजात को रिनुवल करने की वैधता 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी थी। पर, यह समय सीमा अब खत्म होने वाली है। 37 दिनों में यदि आपने फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण समेत अन्य दस्तावेजों को दुरुस्त नहीं किया, तो जुर्माना देना पड़ सकता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण समेत अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी थी। इसके मुताबिक आपके दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो गई है और आप इसे रिन्यू नहीं करा पाए हैं, तो आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, इसमें सिर्फ वही वाहन शामिल होंगे, जिनकी वैधता एक फरवरी से 31 दिसम्बर के बीच समाप्त हो रही है। यह नियम कॉमर्शियल और प्राइवेट दोनों प्रकार के वाहनों पर लागू होगा। **(साभार : दैनिक भास्कर, 25.11.2020)**

व्हाट्सअप नंबर 8929223762 से भी एलपीजी की बुकिंग

इंडेन गैस सर्विस की ओर से बुकिंग और रिफिल के लिए जारी टॉल फ्री नंबर ग्राहकों के परेशानी को देखते हुए इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आइओसी) लिमिटेड ने एक व्हाट्सअप नंबर जारी किया है। आइओसी के महाप्रबंधक (सेल्स एपलपीजी) सर्वेश कुमार ने बताया कि पिछले दिनों नंबर पर या तो कनेक्ट नहीं हो रहा है या अधिकांश समय व्यस्त चल रहा था। साथ ही कनेक्ट होने के बाद कंज्यूमर नंबर डालते-डालते कट जा रहा था।

(साभार : प्रभात खबर, 10.11.2020)

अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं तो 1 जनवरी से पड़ जायेंगे चक्कर में

यह साल यानि की 2020 खत्म होने वाला है और नया साल दस्तक देने वाला है, ऐसे में लोग पहली जनवरी को घूमने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन जब नये वर्ष 2021 में यानि 1 जनवरी को घूमने के लिए बाहर जा रहे हों और रास्ते में आपको टोल प्लाजा मिले तो सतर्क हो जाएँ, क्योंकि इस दिन से टोल में नियम बदलने वाला है। क्योंकि वहाँ नकदी लेन-देन बंद कर दिया जा रहा है और फास्टैग सेवा शुरू की जाएगी।

(विस्तृत : आज, 23.11.2020)

गया से आनंद विहार के बीच चलेगी पहली निजी ट्रेन

भारतीय रेल की पटरियों पर निजी ट्रेनें दौड़ाने की योजना जल्द ही धरातल पर उतरेगी। इस क्रम में पूर्व मध्य रेल में गया से आनंद विहार के बीच पहली निजी ट्रेन चलाने की तैयारी है। इस ट्रेन के परिचालन को लेकर पंडित दीनदयाल रेल मंडल ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। कोरोना काल में थमी रेलवे की रफ्तार अब धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगी है। अभी 60 फीसदी एक्सप्रेस व मेल ट्रेनों का परिचालन होने लगा है। जबकि सामान्य तरीके से पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। गया से आनंद विहार तक पंडित दीनदयाय मंडल की पहली निजी ट्रेन चलेगी। हालांकि इसे अभी हरी झंडी नहीं मिली है।

पार्सल व गुड्स शेडों को भी निजी हाथों में साँपने की है तैयारी : पार्सल व गुड्स शेडों को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। रेल अधिकारियों का कहना है कि इससे रेलवे के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। कोविड-19 के बाद से अब रेलवे नए कलेवर में दिखेगी। यही नहीं निजी ट्रेन का परिचालन शुरू होने से पहले गया जंक्शन को अत्याधुनिक केन्द्र बनाया जाएगा। ताकि पर्यटक आकर्षित हों। जिन-जिन स्टेशनों से निजी ट्रेनों की शुरूआत व समापन होना है, वहाँ कई तरह की यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 14.11.2020)

हल्के हेलमेट के लिए बदले गए बीआइएस के मानक

सड़क दुर्घटनाओं में खराब हेलमेट के कारण बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन सवारियों की मौत को देखते हुए सरकार ने देश में केवल बीआइएस मानक के हेलमेट के निर्माण और बिक्री को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही बीआइएस के मानकों में बदलाब कर अपेक्षाकृत हल्के हेलमेट के निर्माण का रास्ता भी साफ कर दिया है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत की जलवायु के कारण बहुत सारे लोग मौजूदा भारी बीआइएस मानक के हेलमेट नहीं पहनते थे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सरकार से देश की जलवायु को देखते हुए सरकार से बीआइएस मानक के हल्के हेलमेट लाने पर विचार करने को कहा था, ताकि लोग आसानी से हेलमेट को पहन सकें।

(साभार : दैनिक जागरण, 28.11.2020)

वाहन पंजीकरण में नॉमिनी दे सकेंगे

निजी अथवा व्यवसायिक वाहन खरीदारों को लिए जल्द ही पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) में पारिवारिक सदस्य अथवा किसी भी व्यक्ति को नामित (नॉमिनी) करने अधिकार मिलेगा। इससे वाहन मालिक के सड़क हादसे अथवा अचानक मृत्यु होने पर वाहन का स्वामित्व नामित को आसनी से स्थानांतरित हो जाएगा।

केन्द्र सरकार के इस कदम को बड़ा सुधार माना जा रहा है। वर्तमान में ऐसे मामलों में वाहन को ट्रांसफर कराने में आश्रित परिवारों को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 26 नवम्बर को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करते हुए हितधारकों से आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। इसके पश्चात् सरकार उक्त कानून को लागू कर देगी। इससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 28.11.2020)

एयरपोर्ट की तरह पटना जंक्शन पर यात्रियों को मिलेगी सुविधा

एयरपोर्ट की तरह पटना जंक्शन सहित राजेन्द्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र जंक्शन व दानापुर स्टेशन पर आनेवाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। कोरोना महामारी को लेकर यात्रियों के लगेज की भी पुख्ता सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। लगेज को सैनिटाइज करने के साथ अल्ट्रा वायलेट रेज से रैपिंग होगी। इसके अलावा स्टेशन पर यात्रियों को सामान ले जाने के लिए मुफ्त में ट्रॉली मिलेगी। व्हील चेयर की भी व्यवस्था रहेगी। दिनांक 2.10.2020 को यह सुविधा शुरू हुई। लगेज को सेनिटाइज व रैपिंग करने के लिए मशीन लगी है। लगेज को सेनिटाइज करवाने पर यात्रियों को मात्र 10 रुपये खर्च करने होंगे। यात्री अगर अपने लगेज की रैपिंग कराना चाहें तो इसके लिए 40 रुपये खर्च करना होगा। कुल 50 रुपये में लगेज की सुरक्षा का पूरा इंतजाम हो जायेगा। यात्री चाहे तो लगेज में कराये गये रैपर को गंतव्य पर पहुँचने के बाद हटा सकते हैं। निजी एजेंसी की ओर से यह सारी व्यवस्था की गयी है। पटना स्टेशन निदेशक निलेश कुमार ने बताया कि यात्रियों को अब एयरपोर्ट की तरह सुविधा मिलेगी। लगेज की अल्ट्रा वायलेट रेज से रैपिंग होगी। लगेज ले जाने के लिए ट्रॉली की व्यवस्था रहेगी। जरूरतमंद यात्रियों के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था है। **(साभार : प्रभात खबर, 3.10.2020)**

पटना के चार स्टेशनों पर बैग्स ऑन व्हील्स सेवा जल्द

यात्रियों की सुविधा के लिए पटना जंक्शन, राजेन्द्र नगर, पाटलिपुत्र और दानापुर स्टेशन पर बैग्स ऑन व्हील्स सेवा शुरू करने की तैयारी है। इससे रेलयात्रियों को अपने भारी बैग और सूटकेस को घर से स्टेशन और स्टेशन से घर ले जाने की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। मामूली शुल्क पर रेलयात्रियों का सामान घर से ट्रेन के कोच तक और कोच से घर तक पहुँचाया जाएगा। पहले चरण में इन चार स्टेशनों से बेहतर फीडबैक मिलने के बाद पूर्व मध्य रेल के अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी यह सेवा शुरू की जाएगी।

मोबाइल एप से होगी बुकिंग : यह सेवा पूरी तरह मोबाइल एप आधारित है। रेलवे इस सेवा के लिए निजी एजेंसी को टेंडर आवंटित करेगी, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। बीओडब्ल्यू एप द्वारा रेलयात्री अपने सामान की बुकिंब कराएंगे। यात्री का सामान सुरक्षित तरीके से ठेकेदार द्वारा पहुँचाया जाएगा। इस सुविधा के लिए मामूली शुल्क लिया जाएगा। यह सेवा विशेषकर वरिष्ट नागरिकों, दिव्यांगजनों और अकेले यात्रा कर रही महिला यात्रियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 25.10.2020)

रेलवे ने किया बड़ा बदलाव : 10 अक्टूबर से ट्रेन छूटने के आधा घंटा पहले तक मिलेगा आरक्षण

रेलवे 10 अक्टूबर से टिकट आरक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव करने वाला है। नई व्यवस्था के तहत अब ट्रेन के स्टेशन से छूटने के आधा घंटा पहले भी आरक्षण मिल सकता है। अभी ट्रेन छूटने के चार घंटे पहले आरक्षण चार्ट फाइनल हो जाता है। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान रखते हुए रेलवे ने यह बदलाव किया है। अभी तक होता यह है कि चार घंटे पहले चार्ट जारी होने और ट्रेन खुलने के बीच अगर कोई यात्री टिकट रद्द कराता है तो वह रिकॉर्ड में नहीं आ पाता है। इससे खाली सीटों को लेकर ट्रेन में टीटीई की मनमानी चलती है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 8.10.2020)

छोटे-छोटे शहरों में बनेंगे रेलवे पार्सल घर और गुड्स शेड्स

देश के छोटे-छोटे रेलवे स्टेशनों पर पार्सल घर और गुड्स शेड्स बनाए जाएंगे। इससे लोगों को अपने पार्सल अथवा सामान भेजने या मंगाने के लिए बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी होगी। देश के किसी शहरों को पार्सल और सामान भेजना और मंगाना आसान हो जाएगा। यह पार्सल और गुड्स शेड्स रेलवे पीपीपी के जरिये बड़े पैमाने पर बनाए जाने के लिए नई नीति बनाई है। इससे लोगों का पार्सल और सामान तेज गति की पार्सल स्पेशल ट्रेनों से जल्दी उनके शहरों तक पहुँच जाएगा। इसके अलावा पार्सल और गुड्स शेड्स खुलने से छोटे शहरों में औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

यह जानकारी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ विनोद कुमार यादव ने आज यहाँ वेबिनार के जरिये पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि रेलवे पीपीपी के जरिये पार्सल और गुड्स शेड्स विकसित करने के लिए आगे बढ़ चुकी है ताकि लोगों, व्यापारियों और उद्यमियों को उनके व्यवसाय स्थल के निकट पार्सल और गुड्स की सुविधाएँ मिल सके। इससे जहाँ लोगों को पार्सल भेजने व मंगाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना होगा, बल्कि इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आदगी। उन्होंने बताया कि पार्सल घर और गुड्स शेड्स बनाने के लिए पीपीपी के तहत लोगों को आगे आना होगा। इसके लिए संबंधित शहरों में पड़ने वाले रेलवे स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मंडल रेल प्रबंधकों को अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि पीपीपी मॉडल में पार्सल घर या गुड्स शेड्स विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचागत विकास निजी निवेशकों को करना होगा। फिर बोली के जरिये टर्मिनल चार्ज में से रेलवे को हिस्सेदारी रेलवे के साथ करनी होगी। अधिकतम रेलवे को हिस्सेदारी देने की शर्त पर निजी निवेशकों को पार्सल घर और गुड्स शेड्स बनाने की अनुमति मिलेगी। इस तरह से छोटे स्टेशनों अथवा दो बड़े स्टेशनों के बीच रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर पार्सल घर और गुड्स शेड्स बनाए जा सकते हैं।

फ्रेट लोडिंग में वृद्धि: रेलवे बोर्ड चेयरमैन एवं सीईओ विनोद कुमार ने कहा फ्रेट लोडिंग में रेलवे में व्यापक वृद्धि की है। फ्रेट लोडिंग में न केवल वृद्धि हुई है, बल्कि आय में भी इजाफा हुआ है। अक्टूबर में केवल 13 दिनों में भी रेलवे की आय 11प्रतिशत बढी है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 16.10.2020)**

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खोने पर एफआईआर जरूरी

वाहन की हाई सिक्योरिटी नंवर प्लेट चोरी होने या खोए जाने पर वाहन मालिक को एफआईआर दर्ज करानी होगी।

एफआईआर की कॉपी वाहन-4 पोर्टल पर अपलोड होने के बाद ही दूसरी नंबर प्लेट जारी हो सकेगी। प्लेट में विशेष सुरक्षा विवरण के कारण नई व्यवस्था लागू की गई है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 21 अक्टूबर को राज्यों के प्रमुख सचिवों, परिवहन आयुक्तों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बदलने संबंधी नए नियमों को भेजा है। इसमें प्रमुख रूप से वाहनों में लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के खोने अथवा गिर जाने पर एफआईआर दर्ज कराने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में वाहन मालिक को संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करानी अनिवार्य होगी। एफआईआर की कॉपी राजमार्ग मंत्रालय के वाहन-4 पोर्टल में अपलोड करनी होगी। यह काम क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, वाहन डीलर करेंगे। इसके बाद ही उक्त वाहनों को नई एचएसआरपी जारी की जाएगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 31.10.2020)

पटना-दिल्ली बस सेवा शुरू

नियमों का होगा पालन : • अंतराज्यीय बस सेवा के परिचालन में नियमों का पालन सख्ती से करना होगा • वाहन को साफ-सुथरा रखना व हर ट्रिप के बाद सैनिटाइज कराना होगा • ड्राइवर, कंडक्टर को साफ कपड़े व मास्क और ग्लब्स पहनना होगा • वाहनों के अंदर-बाहर कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों संबंधी पोस्टर, स्टिकर लगवाने होंगे • जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध पंपलेट को यात्रियों के बीच बांटना होगा • वाहनों में चढने, उतरने के समय सोशेल डिस्टैंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जायेगा • वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जायेगा • बस में चढ़ने से पहले यात्री को सैनिटाइजर उपलब्ध करायेंगे। **(साभार : प्रभात खबर, 20.10.2020)**

राजधानी में 150 और सीएनजी बसें चलेंगी

राजधानी को वायु प्रदूषण से मुक्त करने के लिए डीजल बस की जगह सीएनजी बसें चलाई जा रही हैं। शुरूआत में परिवहन निगम द्वारा शहर में 20 सीएनजी बसें चल रही हैं। सीएनजी बसों का लाभ देखते हुए 150 और सीएनजी बसें चलेंगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया भी चल रही है। उम्मीद है कि जनवरी में बस सड़क पर दौड़ने लगेगी। सूत्रों के मानें तो अगर राजधानी में सिर्फ सीएनजी बसें चलेंगी तो किराया भी कम हो सकता है, क्योंकि डीजल की तुलना में सीएनजी सस्ता पड़ता है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 28.10.2020)**

केन्द्र की 1 अप्रैल से श्रम कानून लागू करने की योजना

बदलाव होगा : • **तीन श्रम संहिताओं**- औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और पेशेगत सुरक्षा स्वास्थ्य एवं काम की स्थिति पर मसौदा केन्द्रीय नियम 15 से 30 नवम्बर तक सार्वजनिक होंगे • नियमों पर 45 दिन के भीतर जनता से प्रतिक्रिया ली जाएगी • कुछ नियम राज्यों को बनाने हैं और केन्द्र सरकार ने प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने को कहा है • वेतन संहिता पर नियम को प्रतिक्रिया मिलने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा और ये तीन संहिताओं के साथ लागू होगी

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार 1अप्रैल से देश भर में नए श्रम कानून को लागू करने की योजना बना रही है। बहरहाल एक महत्त्वपूर्ण काम यह भी है कि राज्यों को भी मार्च 2021 तक नियम तैयार करने को कहा गया है।

केन्द्र सरकार के अधिकार में कोयला, खनन, बैंकिंग, नागरिक उड्डयन क्षेत्र हैं।

श्रम सचिव ने राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को इस सप्ताह की शुरूआत में पत्र लिखकर कहा था कि वे जल्द नियम तैयार करें, जिससे नई संहिता को समय से लागू किया जा सके। हालांकि संहिताओं में केन्द्र सरकार को विकल्प दिया गया है कि नए श्रम कानून चरणबद्ध तरीके से लागू कर सकती है, लेकिन सरकार इन्हें एक बार में लागू करने पर विचार कर रही है। 29 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में तब्दील कर दिया गया है। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 15.10.2020)**

व्यवसायियों को क्षेत्रफल के आधार पर देना होगा शुल्क

निगम क्षेत्र में व्यवसाय करनेवाले को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उन्हें क्षेत्रफल के आधार पर वार्षिक शुल्क जमा करना होगा, दो साल से अधिक समय के लिए लाइसेंस लेने वाले को शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। निगम की ओर से इसके लिए आवेदन लिया जायेगा। मौर्या लोक से इसकी शुरूआत होगी। निगम क्षेत्र में दुकान खोल कर कारोबार करनेवाले सभी लोगों से ट्रेड लाइसेंस लेने का निर्णय लिया गया है। अब अनुज्ञप्ति शुल्क को वार्षिक टन ओवर के आधार से बदल कर व्यावसायिक क्षेत्रफल के आधार पर शुल्क तय किया गया है। इसमें कारोबारियों को अपने दुकान का क्षेत्रफल दिखाना होगा। निगम ने इसके लिए 15 दिन निर्धारित किया है। आवेदन के साथ कारोबारियों को शुल्क जमा करना होगा। आवेदन सभी अंचल कार्यालयों के अलावा निगम में टैक्स कलेक्शन करनेवाले प्रतिनिधियों को दिया जा सकता है। निगम के वेबसाइट पर भी आवेदन उपलब्ध रहेगा। आवेदन के साथ वैध पहचान पत्र, रेंट एग्रीमेंट, सेल डीड की कॉपी दस्तावेज के रूप में देना होगा।

क्षेत्रफल के आधार पर लगेगा शुल्क : अनुज्ञप्ति शुल्क को वार्षिक टन ओवर के आधार से बदल कर व्यावसायिक क्षेत्रफल के आधार पर शुल्क तय किया गया है।

क्षेत्रफल	:	शुल्क प्रति वर्ष (रुपये)
100 वर्गफुट से कम	:	300
100-500 वर्गफुट	:	500
500 -1000 वर्गफुट	:	1500
1000 वर्गफुट से ऊपर	:	2500

(साभार : प्रभात खबर, 22.10.2020)

बिहार राजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1942 (श.)
(सं. पटना 909) पटना बुधवार 25 नवम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग
अधिसूचना
25 नवम्बर 2020

अधिसूचना संख्या 4/ 2020- राज्य कर (दर)

एस. ओ. **183** दिनांक 25 नवम्बर 2020-बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 555, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2020" के स्थान पर अंक "2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक "2020" के स्थान पर अंक "2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

(सं.सं. बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-9) 05)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

4 अग्रहायण 1942 (श.)
(सं. पटना 910) पटना बुधवार 25 नवम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग
अधिसूचना
25 नवम्बर 2020

एस. ओ. **184** दिनांक 25 नवम्बर 2020-बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 129, दिनांक 09 जून, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 348, दिनांक 9 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, खंड (i) में , निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, **अर्थात:-**

"परंतु और भी कि, जहाँ अनुमोदन पर बिक्री या वापसी के लिए भारत से बाहर भेजे या ले जाये जा रहे माल के संबंध में किसी व्यक्ति के लिए किसी भी समय सीमा, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से अक्टूबर, 2020 के 30वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, को उक्त अधिनियम के खंड 31 के उपखंड (7) के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहाँ ऐसी कार्रवाई को पूरा करना या अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा अक्टूबर, 2020 के 31वें दिन तक बढ़ा दी जायेगी।

(सं.सं. बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-10) 2122)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

4 अग्रहायण 1942 (श.)
(सं. पटना 911) पटना बुधवार 25 नवम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग
अधिसूचना
25 नवम्बर 2020

एस. ओ. **185** दिनांक 25 नवम्बर 2020-बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभग की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 4, दिनांक 2 जनवरी, 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 10, दिनांक 2 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में:-

दूसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की तिमाहियों से संबंधित **प्ररूप जीएसटीआर-4** में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत नहीं कर पाये थे, लेकिन उक्त विवरणी को समयावधि सितम्बर, 2020 के 22वें दिन से अक्टूबर, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करते है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रूपये से अधिक अधित्यजन किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंब फीस को पूर्ण रूप से अधित्यजन किया जाता है जिनके लिए कुल देय राज्य कर की राशि शून्य है।"

(सं.सं. बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-10) 2123)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

4 अग्रहायण 1942 (श.)
(सं. पटना 912) पटना बुधवार 25 नवम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग
अधिसूचना
25 नवम्बर 2020

एस. ओ. **186** दिनांक 25 नवम्बर 2020-बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार राज्यपाल, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-10 में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन वे उक्त विवरणी को समयावधि सितम्बर 2020 के 22वें दिन से दिसम्बर, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रुपये से अधिक अधित्यजन किया जाता है।

(सं.सं. बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-10) 2124)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

4 अग्रहायण 1942 (श.)
(सं. पटना 913) पटना बुधवार 25 नवम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग
अधिसूचना
25 नवम्बर 2020

एस. ओ. **187** दिनांक 25 नवम्बर 2020-बिहार माल और सेवा कर

नियमावली, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य- कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 110, दिनांक 06 मई, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 267, दिनांक 06 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में,-

(i) "किसी वित्तीय वर्ष" शब्दों के स्थान पर "2017-18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की" शब्दों के पश्चात् "या निर्यात के लिए" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(सं.सं. बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-8) 2125)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

4 अग्रहायण 1942 (श.)
(सं. पटना 914) पटना बुधवार 25 नवम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर 2020

एस. ओ. **188** दिनांक 25 नवम्बर 2020-बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य- कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 111, दिनांक 06 मई, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 268, दिनांक 06 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पहले अनुच्छेद में, "एक वित्तीय वर्ष" शब्दों के स्थान पर "2017-18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ii) दूसरे अनुच्छेद में, "1 अक्टूबर 2020" अंकों और शब्दों के स्थान

(सं.सं. बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-11) 2126)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव

4 अग्रहायण 1942 (श.)
(सं. पटना 915) पटना बुधवार 25 नवम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर 2020

एस. ओ. **189** दिनांक 25 नवम्बर 2020-बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिश पर, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 2020 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 30 सितम्बर, 2020 की तारीख से प्रवृत्त हुये माने जायेंगे।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 46 में, खंड (थ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(द) नियम 48 के उप नियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किए जाने के मामले में, इसमें बीजक सन्दर्भ संख्या (आई. आर. एन) सन्निहित करनेवाला त्वरित प्रत्युत्तर कोड।"

3. उक्त नियमावली के नियम 48 के खंड (4) में निम्नलिखित परन्तुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इस उप नियम के अधीन बीजक जारी करने से किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट दे सकेगा।"

4. उक्त नियमावली के नियम 138क में, उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) नियम 48 के उप नियम (4) के अधीन विहित रीति में बीजक जारी किए जाने के मामले में, बीजक निर्देश संख्या (आई. आर. एन.) सन्निहित करनेवाले त्वरित प्रत्युत्तर कोड को ऐसे एक बीजक की भौतिक प्रति के बदले उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए इलैक्ट्रॉनिक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकेगा।"

(सं.सं. बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-11) 2127)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

4 अग्रहायण 1942 (श.)
(सं. पटना 916) पटना बुधवार 25 नवम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 नवम्बर 2020

एस. ओ. **190** दिनांक 25 नवम्बर 2020-बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिन्हें बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उप-नियम (4) के तहत निर्दिष्ट तरीके से बीजक तैयार करना है, परंतु उन्होने उक्त तरीके के अलावा अन्य तरीके से बीजक तैयार किया है, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो 1 अक्टूबर, 2020 से 31अक्टूबर, 2020 की अवधि के दौरान विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे, उक्त व्यक्ति ऐसे बीजक की तारीख से तीस दिनों के भीतर, सामान्य माल एवं सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर प्ररूप **जीएसटी आईएनवी-01** में निर्दिष्ट विवरण अपलोड करके ऐसे बीजक के लिए एक बीजक संदर्भ संख्या (आईआरएन) प्राप्त करेंगे एवं ऐसा ना करने पर वह बीजक मान्य नहीं माना जाएगा।

(सं.सं. बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-11) 2128)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

ई-वे बिल के लिए रिटर्न फाइलिंग अनिवार्य

पहली दिसम्बर से छोटे व बड़े सभी कारोबारियों को ई-वे बिल तभी मिल सकेगा, जब समय पर रिटर्न फाइल कर दिया जाएगा। इसके लिए जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) एक स्वचालित व्यवस्था शुरू करेगा।

जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। ई-वे बिल नहीं जनरेट होने से कारोबारी अपना सामान एक से दूसरी जगह नहीं भेज सकेंगे। ई-वे बिल के लिए अनिवार्य रिटर्न की व्यवस्था को पिछले महीने पाँच करोड़ रुपये से ऊपर के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए लागू किया गया था। अब जीएसटी के दायरे में आने वाले सभी छोटे-बड़े कारोबारियों पर यह लागू होगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 18.11.2020)**

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)
आदेश
ज्ञापांक - जी/आपदा-06-02/2020-132 (वि. स. को.)
पटना, दिनांक 29 नवम्बर, 2020

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा Covid - 19 का प्रसार रोकने हेतु आदेश संख्या 40-3/2020-DM -I (A) दिनांक 25 नवम्बर, 2020 के क्रम में विभागीय ज्ञापांक-6344 दिनांक 26.11.2020 के माध्यम से राज्य में Covid - 19 की निगरानी, कन्टेनमेंट एवं सावधानी हेतु दिशा-निर्देश निर्गत हैं।

1. एतद् द्वारा वैवाहिक कार्यक्रम की कंडिका 'क' एवं 'ज' में निम्नवत् संशोधित आदेश दिया जाता है:-

वैवाहिक कार्यक्रम:-

क. वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले कुल व्यक्तियों की अधिसीमा (स्टाफ सहित) 100 की जगह 150 रहेगी।

ज. कार्यक्रम/समारोह के दौरान सड़कों/ मार्गों पर बैंड बाजा आदि के साथ बारात निकालने की अनुमति रहेगी।

2. विभागीय ज्ञापांक- 6344 दिनांक 26.11.2020 के शेष आदेश यथावत् रहेंगे।

ह०/-
29.11.2020
(सरकार के विशेष सचिव)

ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर 10 हजार से एक लाख तक जुर्माना

क्षेत्र के अनुसार मानक तय : क्षेत्र के अनुसार मानक तय है। इससे अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पर कार्रवाई होगी। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत 'ध्वनि प्रदूषण, विनियमन एवं नियंत्रण नियमावली, 2000 लागू हो गया है।

क्षेत्र	सुबह 6 से रात्रि 10 बजे	रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे
औद्योगिक	75 डेसिबल	70 डेसिबल
व्यवसायिक	65 डेसिबल	55 डेसिबल
आवासीय	55 डेसिबल	45 डेसिबल
साइलेंस जोन	50 डेसिबल	40 डेसिबल

(विस्तृत : प्रभात खबर, 16.10.2020)

जमीन के मालिकाना हक पर आदर्श कानून का मसौदा जारी

नीति आयोग ने राज्यों के लिए जमीन के मालिकाना हक के संदर्भ में एक आदर्श कानून का मसौदा जारी किया है। इसका मकसद कानूनी विवादों में कमी लाना और ढांचागत परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को आसान बनाना है। मॉडल कानून और उससे संबंधित नियम राज्य सरकारों को अचल संपत्ति के मालिकाना हक की रजिस्ट्री की व्यवस्था स्थापित करने, उसके प्रशासन और प्रबंधन का अधिकार देगा।

इसके तहत भूमि विवाद समाधान अधिकारी तथा भू-स्वामित्व अधिकार अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रावधान है। जमीन पर अंतिम रूप से मालिकाना हक की गारंटी राज्य सरकार देगी और अगर कोई विवाद होता है तो क्षतिपूर्ति का प्रावधान होगा।

(साभार : प्रभात खबर, 31.10.20)

निम्नलिखित के पूर्ण जानकारी हेतु चैम्बर से सम्पर्क करें :

1. कर योग्य वेतन तथा उस पर देय कर की गणना
2. एक से अधिक नियोक्ता होना [धारा 192 (2)]
3. प्रतिभूतियों पर ब्याज में से TDS (धारा 193)
4. प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज में से TDS (धारा 194)
5. लॉटरी अथवा वर्ग-पहेली से प्राप्त जीत की राशि में से TDS (धारा 194B)
6. घुड़दौड़ में जीत से प्राप्त की गई राशि में से TDS (धारा 194BB)
7. ठेकेदारों अथवा उप-ठेकेदारों को भुगतान में से TDS (धारा 194C)
8. बीमा कमीशन में से TDS (धारा 194D)
9. जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत किये गए गैर करमुक्त भुगतानों से टीडीएस (धारा 194DA)
10. गैर-निवासी खिलाड़ियों को अथवा खेल संघों को भुगतान में से TDS (धारा 194E)
11. राष्ट्रीय बचत योजना के संबंध में भुगतान में से TDS (धारा 194EE)
12. म्युचुअल फंड अथवा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों की पुन: खरीद करने के कारण भुगतान पर TDS (धारा 194F)
13. लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन आदि से कर की कटौती (धारा 194G)
14. कमीशन अथवा दलाली से TDS (धारा 194H)
15. किराए में से TDS (धारा 194-I)
16. कृषि भूमि के अलावा अन्य अचल संपदा के हस्तांतरण पर टीडीएस (धारा 194-IA)
17. कुछ व्यक्ति एवं हिन्दु अविभाजित परिवार की दशा में स्त्रोत पर कर की कटौती (धारा 194-IB)
18. यूनिटों के संबंध में किसी आय का भुगतान करने पर कटौती (धारा 194K)
19. इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड से ब्याज (धारा 194LB)
20. अनिवासी को भारतीय कंपनी से प्राप्त ब्याज पर टीडीएस (धारा 194LC)
21. विदेशी संस्थागत विनियोगकर्ता आदि को ब्याज पर टीडीएस (धारा 194LD)
22. व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार के द्वारा कुछ निश्चित भुगतानों पर टीडीएस (धारा 194M)
23. कुछ नगद भुगतानों से टीडीएस (धारा 194N)
24. ई-कामर्स व्यवहारों पर स्रोत पर कर कटौती (धारा 194-O)
25. धारा 196B के अंतर्गत यूनिटों अथवा दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ में से TDS
26. प्रतिभूतियों से उत्पन्न विदेशी संस्थान निवेशकर्ता की आय में से TDS (धारा 196D)
27. त्रैमासिक विवरणी को दाखिल करने की प्रक्रिया [नियम 31A(2)]
28. बैंक, सहकारी संस्था एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा त्रैमासिक विवरणी देना (धारा 206A)
29. त्रैमासिक विवरणी पर लेखा संख्या लिखना अनिवार्य [धारा 203A(ba)]
30. टीडीएस न किये गए व्यवहारी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग
31. स्त्रोत पर कर का संग्रहण
32. कर-संग्रहण खाता संख्या (धारा 206CA)
33. TDS/TCS चूक संबंधी प्रावधान
34. गलत TAN लिखने पर पेनल्टी [धारा 272BB(1A)]
35. कर के स्त्रोत पर संग्रहण में चूक पर पेनल्टी (धारा 271CA)

(विस्तृत : टैक्स पत्रिका, अक्टूबर 2020)

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296

सरकार ने विदेश से पैसा लेने के नियम कड़े किए

विदेशी धन प्राप्त करने का इरादा रखने वाले एनजीओ को अब कड़े कानून का सामना करना पड़ेगा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि विदेश से पैसा जुटाने वाले एनजीओ का कम से कम तीन साल पुराना होना जरूरी है। इस अवधि में स्वैच्छिक गतिविधियों के तहत एनजीओ द्वारा कम से कम 15 लाख रुपये खर्च किए जाने जरूरी है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 12.11.2020)**

ईपीएफओ सदस्य की मौत पर नॉमिनी को ढाई लाख रुपये

कानपुर कोरोना काल में देश के 4.5 करोड़ पीएफ अंशधारकों के लिए राहत भरी खबर है। किसी भी सदस्य की असमय मौत पर नॉमिनी को न्यूनतम 2. 5 लाख की रकम मिलेगी। ईपीएफओ ने नियम लागू भी कर दिया है।

हालांकि, यह बीमा राशि उन्हीं सदस्यों के नॉमिनी को मिलेगी, जिनका अंशदान मौत से पहले 12 माह तक लगातार जमा होता रहा है। ब्रेक होने पर नॉमिनी को पुराने फॉर्मूले पर ही राशि देय होगी। 14 फरवरी 2018 से 14 फरवरी 2020 या उसके बाद सदस्य की मौत होने पर ही यह राशि दी जाएगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 8.10.2020)